www.dhyeyaias.com

जुलाई 2020 | अंक 03

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

1 साइबर सुरक्षा नीति, 2013

समीक्षा की आवश्यकता

2 स्टार्स प्रोजेक्ट : शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की एक पहल

3 भारत में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति और कोविड–19

4 सार्क को स्फूर्त करने की अपरिहार्यता

5 क्वॉड : हिंद–प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन का उपकरण

6 कोविड–19 के उपरांत हरित अर्थव्यवस्था के संभावित अवसर

7 भारत में विधि के शासन की प्रथा

ध्येयIAS
most trusted since 2003

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

प्रस्तावना

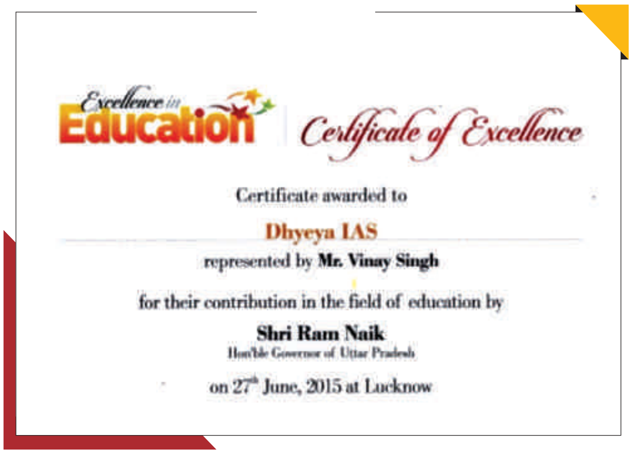

हमने **'PERFECT 7'** पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर **'PERFECT 7'** में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन **'PERFECT 7'** को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। **'PERFECT 7'** के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। **'PERFECT 7'** के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए **'PERFECT 7'** पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय **IAS**

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने **'PERFECT 7'** पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। **'PERFECT 7'** पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। **'PERFECT 7'** के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। **'PERFECT 7'** के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त **'PERFECT 7'** पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय **IAS**

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

www.dhyeyaias.com

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल
जुलाई 2020 | अंक 03

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.	➢ विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	➢ क्यू. एच. खान
मुख्य संपादक	➢ कुरबान अली
प्रबंध संपादक	➢ आशुतोष सिंह
संपादक	➢ जीत सिंह ➢ अवनीश पाण्डेय ➢ ओमवीर सिंह चौधरी ➢ रजत झिंगन
संपादकीय सहयोग	➢ प्रो. आर. कुमार
मुख्य लेखक	➢ अजय सिंह ➢ अहमद अली ➢ स्वाती यादव ➢ स्नेहा तिवारी
लेखक	➢ अशरफ अली ➢ गिरराज सिंह ➢ हरिओम सिंह ➢ अंशुमान तिवारी
समीक्षक	➢ रंजीत सिंह ➢ रामयश अग्निहोत्री
आवरण सज्जा एवं विकास	➢ संजीव कुमार झा ➢ पुनीश जैन
विज्ञापन एवं प्रोन्नति	➢ गुफरान खान ➢ राहुल कुमार
प्रारूपक	➢ कृष्ण कुमार ➢ कृष्णकांत मंडल ➢ मुकुन्द पटेल
कार्यालय सहायक	➢ हरीराम ➢ राजू यादव

Content Office

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

विषय सूची

7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्न — 01–15

- साइबर सुरक्षा नीति, 2013 : समीक्षा की आवश्यकता
- स्टार्स प्रोजेक्ट : शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की एक पहल
- भारत में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति और कोविड–19
- सार्क को स्फूर्त करने की अपरिहार्यता
- क्वॉड : हिंद–प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन का उपकरण
- कोविड–19 के उपरांत हरित अर्थव्यवस्था के संभावित अवसर
- भारत में विधि के शासन की प्रथा

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स — 16–22

7 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित) — 23–24

7 महत्वपूर्ण खबरें — 25–30

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) — 31

7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु) — 32

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध एवं उत्तर लेखन के लिए उपयोगी) — 33

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

7 महत्वपूर्ण मुद्दे

01 साइबर सुरक्षा नीति, 2013 : समीक्षा की आवश्यकता

चर्चा का कारण

- कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भारत में लॉकडाउन लागू किया गया, लेकिन इस दौरान साइबर हमलों में 200 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि हुई है। कई बार सरकारी एजेंसियों की वेबसाइट हैक करने की कोशिश की गई। जानकारों का मानना है कि साइबर हमलों का सामना करने वाले शीर्ष 10 देशों में भारत भी शामिल है। सूचना व संचार तकनीक (Information and Communications Technology) प्रणालियों की फिशिंग, मैपिंग और स्कैनिंग के मामलों में लगभग 3 गुना वृद्धि देखी गई है, विशेषकर महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना में।
- मौजूदा परिदृश्य में देखा जाए तो साइबर सुरक्षा नीति, 2013 विफल होती नजर आ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नई साइबर सुरक्षा नीति, 2020 लाने की घोषणा भी की है।

प्रमुख बिन्दु

- विगत समय में 10 करोड़ भारतीयों को ईमेल और 24 करोड़ लोगों के मोबाइल पर थ्रेट मैसेज भेजे गए। हैकर्स का इरादा इन फर्जी संदेशों के जरिये कंप्यूटर और मोबाइलों में सुरक्षित डेटा को क्षति पहुंचाना और नेट बैंकिंग में सेंधमारी करने का था।
- साइबर विशेषज्ञों के अनुसार भारतीयों के ईमेल व मोबाइल नंबर हैकर्स ने चीन के विभिन्न एप के माध्यम से जुटाए हैं। गूगल ने साइबर अटैक की जानकारी 10 जून को जारी रिपोर्ट में दी थी। इसमें चीन का नाम लिए बिना बताया कि विदेशी थ्रेट मैसेज भारत में भेजे गए हैं।
- हाल ही में साइबर हमले से संबंधित गूगल की रिपोर्ट आने के बाद इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी यानी सीईआरटी ने कोविड-19 से जुड़े हमले के बारे में अपनी वेबसाइट पर अलर्ट जारी किया था। इसके बाद केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भी अलर्ट घोषित किया।
- इसमें साफ तौर पर कहा गया कि ऑनलाइन तरीके से मोबाइल या ईमेल पर हैकरों के हमले बढ़ गए हैं। इन दिनों में आम जनता के मोबाइल और ईमेल पर 20 लाख मैसेज सिर्फ कोरोना की मुफ्त जांच संबंधी आए। यह मैसेज दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद जैसे शहरों में भेजे गए।

नई साइबर सुरक्षा नीति की आवश्यकता क्यों

- साइबर हैकर्स दुनिया भर में सक्रिय हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमलों का संचालन करते हैं। जानकारों का मानना है कि दुनिया भर में साइबर हमलों के लगभग एक तिहाई से अधिक हमले चीन से किए जाते हैं। इसके अलावा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के पास दुनिया में साइबर विशेषज्ञों के बड़े समूह मौजूद हैं। उत्तर कोरिया और पाकिस्तान जैसे देश भी भारत के खिलाफ साइबर अटैक में सक्रिय हैं और वे इस काम में चीनियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि साइबर सुरक्षा नीति में बदलाव के साथ सुरक्षा के बेहद जटिल तंत्र बनाए जाएँ।
- क्रांतिकारी तकनीकों के आगमन जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, इंटरनेट-सक्षम डिवाइस और बिग डेटा जैसी तकनीकों ने साइबर-हमले तंत्र को और अधिक जटिल बना दिया है। इसलिए समय की मांग है कि नई सुरक्षा तकनीकों का विकास किया जाए।
- जानकारों का मानना है कि चीन उपग्रह चैनलों के माध्यम से इंटरनेट को भेदने की प्रौद्योगिकी विकसित करने की होड़ में लगा हुआ है, जिसे समय रहते भारत को सतर्क रहने की जरूरत है।
- भारत संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में 23वें स्थान पर आता है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि 2013 की साइबर सुरक्षा नीति मौजूदा परिस्थितियों में कारगर साबित नहीं हो रही है।
- आईटी के इस युग में ई-बैंकिंग, पेपर-लेस कार्यालय, सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है। साथ ही इन सुविधाओं का दुरुपयोग भी हो रहा है। साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है।
- डिजिटल संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तित हो रही है। हर प्रौद्योगिकी की अपनी उपयोगिता है, इसी तरह साइबर प्रौद्योगिकी में इन दिनों बड़ी तेजी आई है। लेकिन एक वरदान होने के साथ ही यह प्रौद्योगिकी एक बड़ा खतरा भी बन गई है।

साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण क्यों

- साइबर सुरक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार, मिलिट्री, कॉर्पोरेट, फाइनेंशियल और मेडिकल संस्था काफी तरह के डाटा को इकट्ठा करता है और उस डाटा को अपने सिस्टम, कम्प्यूटर और अन्य उपकरणों में रखता है। इस डाटा का कुछ भाग काफी महत्वपूर्ण भी हो सकता है जिसके चोरी होने से किसी की निजी जिंदगी पर काफी गहरा प्रभाव पड़ सकता है और इससे उस संस्था की सारी मिट्टी पलीद हो सकती है।
- साइबर सुरक्षा की मदद से बहुत से डाटा को सुरक्षित रखा जाता है जिससे की यह डाटा किसी और के हाथ नहीं लग सके। जैसे-जैसे डाटा बढ़ता जाता है वैसे-वैसे हमें अच्छे और प्रभावशाली साइबर सुरक्षा के उत्पादों और सेवाओं की जरूरत पड़ती है।
- साइबर सुरक्षा की मदद से हम साइबर हमले, डाटा की चोरी और चोरों की धमकी से बच सकते हैं।

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013

- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013 में इस बात पर बल दिया गया है कि तकनीकी उन्नयन के साथ-साथ इससे जुड़े नियमों की समयबद्ध समीक्षा हो, साइबर सुरक्षा नीति के लिए एक विशेषज्ञ प्रणाली स्थापित हो और साइबर मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग कायम हो।
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013 के तहत सरकार ने अति-संवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण के लिये 'राष्ट्रीय अतिसंवेदनशील सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (National Critical Information Infrastructure protection Centre-NCIIPC) का गठन किया है।
- सरकार द्वारा 'कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In)' की स्थापना की गई जो कंप्यूटर सुरक्षा के लिये राष्ट्रीय स्तर की मॉडल एजेंसी है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धाराएँ 43, 43ए, 66, 66बी, 66सी, 66डी, 66ई, 66एफ, 67, 67ए, 67बी, 70, 72, 72ए और 74 हैकिंग और साइबर अपराधों से संबंधित हैं।
- वर्तमान में साइबर सुरक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) इसकी नोडल एजेसी है, जो देश में साइबर सुरक्षा से जुडे तमाम मामलों की निगरानी करने के अलावा लोगों की भूमिका और दायित्व को भी स्पष्ट करता है । एनएससीएस के अलावा नेशनल क्रिटिकल इंफार्मेशन इंफ्रास्ट्रेक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (एनसीआईआईपीसी) भी सूचना स्त्रोतों का डिजाइन तैयार करने, संकलन, विकास, इस्तेमाल एवं संचालन पर निगरानी करता है। यह चौबीस घंटे देश की संवेदनशील सूचनाओं को सुरक्षित रखता है ।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में साइबर अपराधों से समन्वित और प्रभावी तरीके से निपटने के लिए 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' योजना की शुरुआत की है।

आगे की राह

- भारत इंटरनेट का तीसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है, इसलिए भारत के लिए साइबर सुरक्षा एक अहम मुद्दा है।
- पिछले कुछ दशकों में साइबर सुरक्षा की अवधारणा खुद बदलाव के दौर से गुजरी है। इसके अपने पैमाने हैं; बाहरी और आंतरिक। साइबर जगत युद्ध का नया मैदान बन गया है। दुनियाभर में साइबर हमलों से काफी वित्तीय हानि और दूसरी दिक्कतें सामने आती हैं। डिजिटल गवर्नेंस और इसके व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए साइबर सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण है।
- साइबर सुरक्षा संबंधी मुद्दों के समन्वय में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक की भूमिका की प्रभावशीलता की समीक्षा की जानी चाहिए और उसे और अधिक सशक्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा केंद्रीय स्तर पर एक जिम्मेदार संस्था होनी चाहिए जो साइबर सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार हो। साथ ही नियामकों एवं समन्वयकों के बीच उच्च स्तर का सामंजस्य स्थापित होना चाहिए।
- रक्षा प्रणाली, बिजली संबंधी बुनियादी ढांचा, परमाणु संयंत्र, दूरसंचार प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करनी होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी कोई बाधा पैदा न हो जिससे देश की सुरक्षा एवं अर्थव्यवस्था अस्थिर हो जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो साइबर क्षेत्र में अस्थिरता का मतलब है आर्थिक अस्थिरता। कोई भी देश आर्थिक अस्थिरता को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए सिर्फ साइबर नीति ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र में अन्य ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन-शोधन और इसे रोकना।

प्र. क्रांतिकारी तकनीकों के आगमन से साइबर क्षेत्र में अस्थिरता उत्पन्न हुई है जिससे भारत की साइबर सुरक्षा नीति, 2013 में बदलाव के साथ-साथ अन्य ठोस कदम उठाने की जरूरत है। चर्चा कीजिये।

02 स्टार्स प्रोजेक्ट : शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की एक पहल

चर्चा का कारण

- विश्व बैंक ने हाल ही में भारत के छह राज्यों के सरकारी स्कूलों की शिक्षा पद्धति में सुधार के लिये लगभग 500 मिलियन डॉलर की स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी है।

स्टार्स (STARS) परियोजना

- स्टार्स परियोजना 'राज्य कार्यक्रमों के लिए शिक्षण-अभिगम और परिणाम की सुदृढ़ता' (Strengthening Teaching-learning and Results for States Program: STARS) का संक्षिप्त रूप है।
- स्टार्स परियोजना का प्रमुख उद्देश्य भारत के छह राज्यों (यथा-हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश और केरल) में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता एवं शासन में सुधार लाना है।
- विश्व बैंक के मुताबिक, इस परियोजना से भारत के स्कूलों में मूल्यांकन प्रणाली को बेहतर बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना से स्कूलों के शासन और विकेन्द्रीकृत प्रबंधन को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
- स्टार्स परियोजना को केन्द्र सरकार की योजना 'समग्र शिक्षा अभियान' के माध्यम से लागू किया जायेगा।
- स्टार्स परियोजना के द्वारा उपर्युक्त 6 राज्यों के लगभग 15 लाख स्कूलों के 6 से 17 वर्ष की आयु के लगभग 25 करोड़ छात्रों और एक करोड़ शिक्षकों को फायदा पहुँचेगा।
- स्टार्स परियोजना निम्नलिखित उपायों के माध्यम से वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करेगी-
  - भारत के उपर्युक्त 6 राज्यों में शिक्षा सेवाओं को जिला स्तर पर प्रत्यक्ष निष्पादित किया जायेगा।
  - शिक्षा सेवा से संबंधित विभिन्न हितधारकों (विशेषरूप से अभिवावकों एवं विद्यार्थियों) की माँगों को संबोधित किया जायेगा।
  - स्टार्स परियोजना अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षकों को ट्रेनिंग आदि के माध्यम से सशक्त करेगी।
  - स्टार्स परियोजना के माध्यम से भारत की मानव पूँजी के विकास हेतु शैक्षिक निवेश पर अधिक बल दिया जायेगा।
  - स्टार्स परियोजना विद्यार्थियों के लर्निंग आऊटकम की चुनौतियों पर विशेष बल देगी।

महत्वपूर्ण बिन्दु

- शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास की कुंजी होती है और शिक्षकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है।
- भारत ने बीते कुछ वर्षों में देश भर में शिक्षा की पहुँच में सुधार करने के लिये कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं, इन्ही कदमों का परिणाम है कि देश में स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। आँकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2004-05 और वित्तीय वर्ष 2018-19 के बीच स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 219 मिलियन से बढ़कर 248 मिलियन हो गई है।
- हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में यूनेस्को (UNESCO) ने कहा था कि भारत समेत विश्व के अन्य देशों को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिये कि किसी भी पृष्ठभूमि का कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से छूट न सके।

एसडीजी और स्टार्स परियोजना

- सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) का चौथा लक्ष्य शिक्षा से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने के अवसर पर बल प्रदान किया जायेगा। इस प्रकार स्टार्स परियोजना सतत विकास लक्ष्य को भी पाने में मदद करेगी।
- उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2015 में (एमडीजी की अवधि समाप्त होने पर) अपनी 70वीं बैठक में '2030 सतत् विकास हेतु एजेंडा' के तहत सदस्य देशों द्वारा 17 विकास लक्ष्यों अर्थात् एसडीजी को अंगीकृत किया था।
- एसडीजी 1 जनवरी, 2016 से प्रभाव में आ गये थे और यूएनडीपी की निगरानी में अगले 15 वर्षों तक अर्थात् 2030 तक प्रभाव में रहेंगे।

पीसा (PISA) और स्टार्स परियोजना

- स्टार्स परियोजना, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के आंकलन का कार्यक्रम (Programme for International Student Assessment-PISA) में भारत की भागीदारी में भी सहायता करेगा।
- पीसा (PISA), आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) का शिक्षा से संबंधित एक वैश्विक कार्यक्रम है। ओईसीडी, इसे अपने सदस्य राष्ट्रों एवं गैर-सदस्य राष्ट्रों दोनों में ही संचालित करता है।

भारत में शिक्षा क्षेत्र में चुनौतियाँ

- **निम्न साक्षरता दर:** आजादी के समय देश की केवल 12 फीसदी आबादी साक्षर थी जो 2011 में 74 फीसदी हो गई, लेकिन 84 फीसदी के वैश्विक औसत से भारत अब भी काफी पीछे है।
- **शिक्षा की गुणवत्ता में कमी:** आधारभूत ढाँचे की कमी और अन्य समस्याओं के चलते शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ता है और छात्रों के सीखने के स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। 7 साल की उम्र के 50 फीसदी बच्चे शब्द नहीं पहचानते जबकि 14 साल तक की उम्र के करीब इतने ही बच्चे गणित के सामान्य सवाल भी हल नहीं कर पाते।
- **शिक्षा के प्रति रुझान में कमी:** स्कूल की पढ़ाई करने वाले छात्रों में से कुछ ही कॉलेज पहुँच पाते हैं। भारत में उच्च शिक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्रों का अनुपात काफी कम है।

- **शिक्षकों की भारी कमी और अनियमितताः** इस समय देश में शिक्षकों की भारी कमी है। शिक्षकों की कमी के अलावा उनकी नियमित तौर पर ट्रेनिंग भी नही होती है जिससे शिक्षण गुणवत्ता प्रभावित होती है।
- **मध्याह्न भोजन आदि स्कीम का प्रभावी न होनाः** सरकार बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए प्राथमिक व उच्च प्राथमिक बच्चों के लिए प्रतिदिन व्यंजन सूची के अनुसार भोजन की व्यवस्था करती है। परन्तु धरातल पर यह भ्रष्टाचार और अनियमितता की भेंट चढ़ जाता है।
- **शिक्षकों का गैर-शैक्षणिक कार्यों में संलिप्तताः** सरकारी विद्यालयों में तैनात अध्यापक साधारणतः पल्स पोलियो, जनगणना, चुनाव जैसे तमाम गैर शैक्षिक कार्यों में लगे रहते हैं जिससे वे कक्षा में निर्धारित समय में पाठ्यक्रम को समाप्त नहीं कर पाते हैं।
- **आधारभूत शिक्षण व्यवस्था की कमी और स्कूलों की दूरीः** यूनीसेफ की रिपोर्ट बताती है कि देश के 30 फीसदी से अधिक विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था ही नहीं है। साथ ही 40 से 60 फीसदी विद्यालयों में खेल के मैदान तक नहीं हैं। इसके अलावा कई गाँव, आज भी प्राथमिक शिक्षा की पहुँच से बाहर हैं।
- **ड्रॉप-आउट रेटः** सर्व शिक्षा अभियान के बाद प्राथमिक स्तर पर नामांकन अनुपात सौ फीसदी के करीब पहुँच चुका है, लेकिन स्कूल छोड़ने की दर ज्यादा होने के चलते लगभग 57 फीसदी छात्र ही प्राथमिक शिक्षा और लगभग 10 फीसदी सेकेंडरी शिक्षा पूरी करते हैं।
- **उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ताः** संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की उच्चतर शिक्षा व्यवस्था अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर आती है लेकिन जहाँ तक गुणवत्ता की बात है दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है।
- **रूरल-अर्बन डिवाइडः** गाँवों में डिजिटल इंफ्रॉस्ट्रक्चर शहरों के मुकाबले काफी कमजोर है। इसके कारण कोविड-19 महामारी में ऑनलाइन शिक्षण प्रभावित हो रहा है।

सरकारी प्रयास

डिजिटल ई शिक्षा पहल

- भारत की शिक्षा प्रणाली बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। 10 जुलाई, 2017 को भारत सरकार ने 'ई-पाठशाला-स्वयं प्रभा' की शुरूआत की। भारत सरकार को आशा है कि इस पहल से 2020 तक छात्रों के सकल नामांकन का अनुपात 24.5% से बढ़कर 30% तक पहुँच जाएगा।

स्वयं प्रभा

- इसके तहत जीसैट-15 उपग्रह के माध्यम से सरकार कुछ शैक्षणिक कार्यक्रम टीवी पर प्रसारित कर रही है।

ई-पाठशाला

- एनसीईआरटी की किताबें 'ई-पाठशाला' पहल के तहत मुफ्त में ऑनलाइन उपलब्ध है। इस पहल से गरीब छात्र भी आसानी से अध्ययन कर सकते हैं, जो एनसीईआरटी की किताबें नहीं खरीद पा रहे हैं।

शिक्षकों के लिए दीक्षा पोर्टल

- केन्द्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्रालय (एचआरडी) ने 5 सितंबर 2017 को शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल माध्यम दीक्षा पोर्टल (diksha.gov.in) की शुरूआत की थी।
- इस पोर्टल पर शिक्षकों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से प्रशिक्षण प्राप्त होता है।
- इस पोर्टल के जरिये मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षकों को नई और आधुनिक प्रौद्योगिकियाँ प्रदान करता है।

एन.पी.टी.ई.एल. कार्यक्रम

- एन.पी.टी.ई.एल. कार्यक्रम के अंतर्गत इंजीनियरिंग विषयों और मानविकी विषयों के लिए वेब और वीडियो पाठ्यक्रम विकसित किए जा रहे हैं।

सुझाव

- डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए साक्षरता दर में वृद्धि करने की जरूरत है।
- यद्यपि भारत ने शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए अनेक प्रयास किए हैं

लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाये हैं। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जाए जैसे- शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं का विकास, शिक्षकों को आधुनिक शिक्षा पद्धति के लिए अलग से प्रशिक्षण देने, साथ ही विकसित देशों के साथ शिक्षा क्षेत्र में समझौते भी किये जा सकते हैं।

- बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन की जरूरत है; साथ ही स्कूल या कॉलेजों की पठन-पाठन प्रणाली इस प्रकार तैयार करने की जरूरत है जिससे बच्चों में शिक्षा के प्रति रुझान को बढ़ाया जा सके।
- बढ़ती जनसंख्या और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार को चाहिए कि वह शिक्षकों की कमी को जल्द से जल्द दूर करें।
- शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्यों में संलिप्तता को समाप्त करने के लिए कड़े नियम के साथ-साथ एक अलग से निगरानी निकाय बनाने की आवश्यकता है।
- शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी आधुनिक कक्षाएँ बनाने की जरूरत है। बिजली की आपूर्ति को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे पठन-पाठन के दौरान कोई परेशानी न हो।
- गाँवों में डिजिटल शिक्षा से संबंधित बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है तथा शिक्षा जगत से जुड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए इसे समाप्त करने की आवश्यकता है।
- डिजिटल शिक्षा को तभी साकार किया जा सकता है जब इसके लिए शिक्षा बजट को और बढ़ाया जाए।

- ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।
- शिक्षा क्षेत्र में रुझान बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम को लागू किए जाने की जरूरत है तथा जो छात्रवृत्ति योजनाएँ केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रहीं हैं उनके प्रभावी कार्यान्वयन की भी आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक विकास पर महत्त्वपूर्ण और निर्णायक प्रभाव डालती है। यह देश के मानव संसाधन की उत्पादक क्षमता में वृद्धि करने व देश में उपलब्ध भौतिक संसाधनों की समतापूर्ण वितरण की संभावना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए सरकार को चाहिए कि शिक्षा क्षेत्र के संसाधनों को और अधिक सुदृढ़ करे।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- निवेश मॉडल।

प्र. विश्व बैंक की स्टार्स (STARS) परियोजना क्या है? यह परियोजना भारत में शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त चुनौतियों को सीमित करने में किस प्रकार मदद कर सकती है? चर्चा करें।

03 भारत में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति और कोविड-19

चर्चा का कारण

- हाल ही में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत द्वारा आत्महत्या कर लेने के कारण, आत्महत्या पर चर्चा जोरों से प्रारंभ हो गयी है। इसके साथ ही कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने हेतु लगाये गये लॉकडाउन के कारण आत्महत्या के मामलों में वृद्धि देखी गयी है।

आत्महत्या

- किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर अपनी जान गवाने एवं अपना नुकसान करना, आत्महत्या कहलाता है।
- सामान्यत: आत्महत्या को मानसिक कमजोरी से जोड़कर देखा जाता है। क्योंकि अकसर ऐसा देखा जाता है कि मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति अपनी समस्याओं से बचने के लिए आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के हाल ही के आँकड़ों द्वारा यह साफ है कि भारत में आत्महत्या की दर वैश्विक आत्महत्या की दर से पुरुषों एवं महिलाओं में क्रमश: 1.5 तथा 2 गुणा ज्यादा है। भारत में 15 से 39 आयु समूह (दोनों लिंगों) में मृत्यु का प्रमुख कारण आत्महत्या ही है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत और चीन में विश्व की कुल 40 प्रतिशत आत्महत्याएँ होती हैं।
- राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आँकड़ों के अनुसार, भारत में पुरुषों में आत्महत्या की दर 15 से 44 आयु समूह में काफी अधिक है (लगभग 27.4 प्रति लाख)। इसी प्रकार महिलाओं में आत्महत्या की दर 15 से 29 आयु समूह में सबसे अधिक है (लगभग 24.9 प्रति लाख)।

भारत में आत्महत्या के प्रमुख कारण

- बेरोजगारी का संबंध आत्महत्या से भी है। यदि कोई व्यक्ति अधिक समय तक बेरोजगारी की स्थिति में रहता है तो विशेषज्ञों का कहना है कि उसमें आत्महत्या के विचार पनपने लगते हैं। भारत में बेरोजगारी की दर पहले से ही काफी ज्यादा थी जिसे कोविड-19 महामारी के कारण लगाये गये लॉकडाउन ने और बढ़ा दिया है।
- भारत में महिलाओं की स्थिति निम्न अवस्था में है। उन पर तरह-तरह के प्रतिबंध लगाये जाते हैं, जिससे उनकी स्वतंत्रता प्रभावित होती है और वो अत्यधिक दबाव महसूस करती हैं। इसी दबाव के चलते महिलाएँ कई बार आत्महत्या जैसे कदम उठा लेती हैं।
- घरेलू कलह व हिंसा भी आत्महत्या का प्रमुख कारण है। घरेलू कलह, पुरुष एवं महिला दोनों को आत्महत्या हेतु प्रेरित कर सकती है किन्तु घरेलू हिंसा महिलाओं पर अधिक प्रभाव डालती है, क्योंकि महिलाओं की सामाजिक स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर है।
- कोविड-19 महामारी ने न सिर्फ भारत की बल्कि कमोवेश रूप से विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर काफी गहरा प्रभाव छोड़ा है। बड़ी-बड़ी व्यापारिक इकाईयाँ बंद हो गयी हैं और असंख्य संख्या में लोग आर्थिक रूप से बदहाल हो गये हैं। इस आर्थिक तंगी ने भी आत्महत्या के लिए अनुकूल आधार तैयार किया है।
- असाध्य बीमारियों से लगातार पीड़ित रहने पर व्यक्ति के मन में निराशा के भाव जागृत होते हैं और वो आत्महत्या के लिए प्रेरित होता है। भारत में स्वास्थ्य ढाँचा काफी कमजोर स्थिति में है और कोविड-19 महामारी ने इस पर और अधिक दबाव बढ़ा दिया है। इस प्रकार स्वास्थ्य ढाँचा कमजोर होने तथा लोगों को बीमारियों का समय पर उपचार न मिलने के संयोजन (Combination) ने आत्महत्या की दर को बढ़ाने में मदद की है।
- आत्महत्या का एक प्रमुख कारण डिप्रेशन (तनाव) भी है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि तनाव की अंतिम परिणति आत्महत्या है। किन्तु भारत में आज भी तनाव को एक बीमारी के रूप में सर्वमान्यता नहीं मिल पायी है। खासकर ग्रामीण इलाकों में तनाव को बीमारी समझा ही नहीं जाता है और इसकी उपेक्षा की जाती है; जिसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति धीरे-धीरे तनाव से घिरता रहता है और एक दिन आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता है।
- भारत में डिप्रेशन के इलाज हेतु अस्पताल व डॉक्टर भी कम हैं। ज्यादातर मेण्टल क्लीनिक या अस्पताल महानगरों में स्थापित हैं, जिसके कारण सभी लोगों की इन तक पहुँच आसानी से नहीं हो पाती है।
- मानसिक बीमारी के क्षेत्र में अभी भी अनुसंधान अपेक्षाकृत कम है जिससे इनके लिए उत्तम प्रकृति की दवाएँ बाजार में कम मात्रा में हैं।
- सामाजिक अलगाव भी लोगों में अकेलापन को बढ़ावा देता है, जो आत्महत्या का कारण बनता है। वर्तमान में यह प्रवृत्ति वृद्धों में अधिक देखी जा रही है।
- कृषि के फसल के नष्ट होने पर भारी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं।
- शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी, शारीरिक व्यायाम की अल्पता, सही मात्रा में आहार न लेना आदि भी तनाव को चरम अवस्था में ले जाकर आत्महत्या हेतु व्यक्ति को प्रेरित करते हैं।

कोविड-19 महामारी और आत्महत्या

- हाल ही में नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इनफार्मेशन (एनसीबीआई) में एक लेख 'द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19: फ्रॉम मेडिकल स्टॉफ टू कॉमन पीपल' प्रकाशित हुआ है। इसमें बताया गया है कि कैसे कोविड-19 के कारण लोगों में आत्महत्या की चाहत बढ़ा है, क्योंकि विश्व में लगभग 25 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं और लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। इसका प्रभाव कब तक रहेगा, इस बारे में भी अभी कोई खबर नहीं है।
- कोविड-19 महामारी से ग्रसित व्यक्तियों तथा उनका इलाज कर रहे डॉक्टर्स, नर्स आदि में मानसिक तनाव बढ़ा है क्योंकि ये लोग कहीं न कहीं अलगाव के शिकार हो रहे हैं।

- कोविड-19 महामारी ने लोगों को भावनात्मक रूप से भी कमजोर कर दिया है।

भारत में आत्महत्या को लेकर कानून

- सन् 2017 में आईपीसी की धारा 309 को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (Mental Health-care Act, 2017) द्वारा हटा दिया गया। उल्लेखनीय है कि आईपीसी की धारा 309 के तहत आत्महत्या को एक अपराध माना जाता था और इसके लिए एक वर्ष के कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान था।
- जब मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि आत्महत्या मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकारों से जुड़ी एक बीमारी है जिसके पीछे अवसाद, चिंता आदि प्रमुख कारण हो सकते हैं, तब केन्द्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 पारित किया और इसमें आत्महत्या को मानसिक रोग माना गया है न कि अपराध।
- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 में मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के अधिकारों की भी चर्चा की गयी है, यथा-
  - प्रत्येक व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच का अधिकार होगा।
  - मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को अपने मानसिक स्वास्थ्य, उपचार और शारीरिक स्वास्थ्य सेवा के संबंध में गोपनीयता बनाए रखने का अधिकार होगा।
  - अधिनियम में गरीबी रेखा से नीचे के सभी लोगों को मुफ्त इलाज का भी अधिकार दिया गया है।
  - मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की सहमति के बिना उससे संबंधित तस्वीर या कोई अन्य जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती है।
  - मानसिक रूप से बीमार प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार होगा और लिंग, धर्म, संस्कृति, जाति, सामाजिक या राजनीतिक मान्यताओं, वर्ग या विकलांगता सहित किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

सुझाव

- विशेषज्ञों का आकलन है कि ज्यादातर मानसिक बीमारियों का प्राथमिक स्तर पर ही उपचार किया जा सकता है लेकिन भारत में प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य ढाँचा काफी कमजोर है, अतः सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।
- सरकार को स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी निवेश को भी आकर्षित करना चाहिए (उपयुक्त नीतियाँ बनाकर) ताकि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने में स्वास्थ्य ढाँचा को मजबूती मिल सके।
- मानसिक बीमारियों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि इन रोगियों को अमानवीय व्यवहारों से सामना न करना पड़े।
- स्वास्थ्य देखभाल राज्य सरकार के दायरे में आता है, अतः राज्यों को सशक्त करने हेतु केन्द्र सरकार को हर प्रकार की सहायता देनी चाहिए और दोनों सरकारों को समन्वयन के साथ कार्य करना चाहिए।
- स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव करके मानसिक बीमारी के प्रति बच्चों एवं युवाओं को अत्यधिक जागृत करना चाहिए।
- मानसिक रोगों के संबंध में नागरिक समाज को भी अपनी अग्रणी भूमिका निभानी होगी।

निष्कर्ष

- आत्महत्या एक गंभीर चुनौती है जिससे निजात पाने हेतु सरकार के अलावा हम सभी को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार को एक उपयुक्त नीति बनानी चाहिए, जिससे कि आत्महत्या को रोका जा सके।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

Topic:

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्र. आत्महत्या क्या है? इसके कारणों का उल्लेख करते हुए यह भी बतायें कि सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाये हैं?

04 सार्क को स्फूर्त करने की अपरिहार्यता

चर्चा का कारण

- ब्रुकिंग्स इंडिया के अध्ययन के अनुसार, अधिकांश दक्षिण एशियाई राष्ट्र भारत से भौगोलिक निकटता के बावजूद अब आयात के लिए चीन पर निर्भर हैं। वहीं भारत-चीन सीमा तनाव के बीच, चीन अपनी वैश्विक विस्तार रणनीति के तहत दक्षिणी एशिया में भारत के हितों पर हमला कर रहा है। इस संदर्भ में कई विदेश नीति विशेषज्ञों का मानना है कि 2014 से निष्क्रिय पड़े सार्क को फिर से मजबूत करके, भारत को चीन से रणनीतिक ढंग से निपटने के लिए दक्षिण एशिया से शुरुआत करनी चाहिए।

पृष्ठभूमि

- पिछले कुछ वर्षों के दौरान, पाकिस्तान के साथ बढ़ती शत्रुता के कारण, SAARC में भारत की राजनीतिक दिलचस्पी काफी कम हो गई है। पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के कारण, पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। इसके बावजूद चीन ने पाकिस्तान को समर्थन दे कर उससे नजदीकियां बढ़ाई है। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) परियोजना द्वारा पाकिस्तान से चीन की निकटता और मजबूत हुई है।
- इसके अलावा भारत के अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी विभिन्न पैंतरे अपना कर चीन अपने वैश्विक विस्तार में लगा हुआ है जैसे कि चीन बांग्लादेशी उत्पादों पर 97% तक टैरिफ की छूट देकर बांग्लादेश को लुभा रहा है। साथ ही वैचारिक और भौतिक कारणों से नेपाल की चीन से नजदीकियां बढ़ रही है। चीन ने व्यापक निवेश करके श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को भी मजबूत किया है।
- ध्यातव्य है कि भारत ने भी अब SAARC के विकल्प के रूप में BIMSTEC जैसे अन्य क्षेत्रीय निकायों में निवेश करना आरम्भ कर दिया है। हालांकि, BIMSTEC, दक्षिण एशिया में SAARC को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। इसका मुख्य कारण, SAARC देशों की साझा पहचान तथा इतिहास है।
- इसके अतिरिक्त, बिम्सटेक भौगोलिक रूप से 'बंगाल की खाड़ी क्षेत्र' आधारित है, अतः, यह दक्षिण एशियाई देशों के संयोजन हेतु उपयुक्त मंच बनने के लिए अनुपयुक्त है।

बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल बिम्सटेक (BIMSTEC)

- यह एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें सात सदस्य देश शामिल हैं, जो बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं, जो एक क्षेत्रीय एकता का निर्माण करते हैं। यह उप-क्षेत्रीय संगठन बैंकॉक घोषणा के माध्यम से 6 जून 1997 को अस्तित्व में आया था।
- यह दक्षिण एशिया से बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका और दक्षिण-पूर्व एशिया से म्यांमार और थाईलैंड सहित कुल सात सदस्य राज्यों का गठन करता है।
- प्रारंभ में इस, आर्थिक ब्लॉक का गठन चार सदस्य राज्यों के साथ किया गया था, जिसका संक्षिप्त रूप BIST-EC (बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग) था। बैंकॉक में एक विशेष मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान 22 दिसंबर 1997 को म्यांमार को शामिल किए जाने के बाद, समूह का नाम बदलकर 'बिम्स-ईसी' (बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग) कर दिया गया।
- 6वीं मंत्रिस्तरीय बैठक (फरवरी 2004, थाईलैंड) में नेपाल और भूटान के प्रवेश के साथ समूहीकरण का नाम बदलकर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन (BIMSTEC) कर दिया गया।

सार्क (SAARC)

- ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर द्वारा 1985 में सार्क की स्थापना हुई। इसका सचिवालय काठमांडू, नेपाल में है।
- दक्षेस दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने, सामूहिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करने, विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और आपसी सहायता को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग करने का प्रयास करता है।
- इसमें 8 देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। इसके अलावा छह पर्यवेक्षक में चीन, जापान, यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान शामिल हैं।
- दक्षिण एशिया, दुनिया के सबसे कम एकीकृत क्षेत्रों में से एक है SAARC देशों के मध्य कुल दक्षिण एशियाई व्यापार का बमुश्किल 5% व्यापार होता है, जबकि इसके समकक्ष आसियान क्षेत्र में कुल व्यापार का 25% अंतर-क्षेत्रीय व्यापार होता है।
- यद्यपि दक्षिण एशियाई देशों के मध्य व्यापार-समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, परन्तु, राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा परस्पर विश्वास की कमी के कारण व्यापार में सार्थक वृद्धि नहीं हुई है। वर्तमान में, विश्व बैंक के अनुसार, दक्षिण एशिया में व्यापार 67 बिलियन डॉलर के अनुमानित मूल्य का केवल 23 बिलियन डॉलर है।

सार्क का महत्व

- सार्क में दुनिया का 3% क्षेत्र, दुनिया की आबादी का 21% और वैश्विक अर्थव्यवस्था का 3.8% (US2.9 ट्रिलियन$) शामिल है।
- यह दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला व सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। सार्क देशों के पास साझा परंपरा, पोशाक, भोजन और संस्कृति और राजनीतिक पहलू हैं, जिससे उनके कार्यों का समन्वय होता है।

- यह भारत की एक्ट ईस्ट पालिसी हेतु मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र में और अधिक आर्थिक एकीकरण और समृद्धि ला सकता है।
- इसके अलावा विकास प्रक्रिया और आर्थिक सहयोग में संलग्न नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका के माध्यम से चीन (OBOR पहल) का मुकाबला कर सकते हैं।

सार्क पर COVID-19 का प्रभाव

- दक्षिण एशिया ने अभी तक विश्व स्तर पर बहुत कम विकट परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन इसकी जनसंख्या के घनत्व को देखते हुए यह स्पष्ट है कि ये किसी भी प्रकोप से कहीं अधिक हताहत होंगे। इन उपमहाद्वीपों में वायरस का प्रसार प्रमुख चिंता का विषय है।
- अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए विशिष्ट चुनौतियां हैं क्योंकि वे ईरान के साथ लंबी सीमाओं को साझा करते हैं, जो चीन और इटली के बाद, वायरस के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था।
- भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका पर्यटन पर प्रभाव को लेकर चिंतित हैं,जो उनकी अर्थव्यवस्थाओं का मुख्य आधार है।
- इसके अतिरिक्त अंडर-रिपोर्टिंग के बारे में भी समस्याएं उभर कर सामने आ रही हैं क्योंकि दक्षिण एशिया के अधिकांश हिस्सों में बहुत कम लोगों का परीक्षण किया जा रहा है।

भारत के लिए चुनौती

- भारत पर अकसर पाकिस्तान विरोधी बयानबाजी और इस्लामोफोबिया साथ ही साथ बांग्लादेशी प्रवासी से संबंधित आरोप लगाए जाते हैं। यह भारत के पड़ोसी देशों में भारत विरोधी भावना को बढ़ावा दे सकती है।

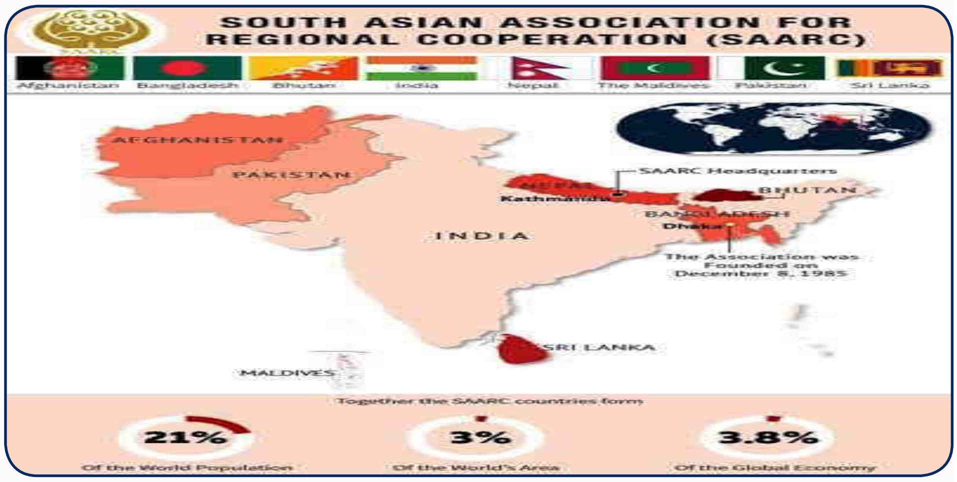

- इस प्रकार की राजनीति से विदेश नीति पर अवांछनीय प्रभाव पड़ता है। इससे भारत की उदार और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र तथा सॉफ्ट पॉवर की छवि को ठेस पहुंचती है, जो कि भारत के नेतृत्व को नैतिक वैधता प्रदान करने के लिए आवश्यक है।
- इसके अलावा सरकार की आर्थिक परिकल्पना में अनिश्चितता बनी रहती है। इससे, 'आत्म-निर्भर भारत' तथा 'वोकल फॉर लोकल' जैसे नारों का वास्तविक अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। इस संदर्भ में कई विशेषज्ञों का मानना है कि, भारत को अपनी आयात-निर्भरता में कटौती करने की आवश्यकता है परन्तु इससे आयात प्रतिस्थापन के आर्थिक दर्शन में वापसी का संकेत मिलता है।
- यदि यह संरक्षणवाद की ओर वापस लौटने की निशानी है, तो भारत द्वारा, दक्षिण एशियाई आर्थिक एकीकरण को मजबूत करने में अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी।

आगे की राह

- भारत को आगे बढ़ कर अपने पड़ोसियों के साथ टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने के लिए काम करना चाहिए।
- हालाँकि इस संदर्भ में भारत द्वारा 15 जून 2015 को बांग्लादेश, भूटान और नेपाल साथ मिलकर यात्री, वैयक्तिक और कार्गो वाहन यातायात के विनियमन हेतु मोटर वाहन समझौते (एमवीए) पर हस्ताक्षर किये गये थे और अभी हाल ही में एमवीए पर बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल की बैठक आयोजित की गई थी।
- यह बैठक यात्री और कार्गो प्रोटोकॉल पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य 2015 में हस्ताक्षरित समझौते को प्रभावी करना है।
- इसके अलावा व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन (अंकटाड) के अनुसार, व्यापार क्षेत्र में कुल निवेश का लगभग 19% अंतर-आसियान निवेश होता है। सार्क क्षेत्र इसी तरह उच्चतर इंट्रा-सार्क निवेश प्रवाह से लाभ प्राप्त कर सकता है। इसके लिए वर्ष 2007 से लंबित SAARC निवेश संधि पर वार्ता को फिर से शुरू करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को मजबूत करने से SAARC देशों में परस्पर निर्भरता में वृद्धि होगी, जिसमें भारत की केंद्रीय भूमिका हो सकती है। परिणामस्वरूप, भारत के सामरिक हितों के भी सुरक्षित होने की संभावना हो सकती है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

प्र. वर्तमान समय में भारत के लिए सार्क की क्या प्रासंगिकता है? चर्चा करें।

05 क्वॉड : हिंद–प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन का उपकरण

चर्चा का कारण

- कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच चीन की बढ़ती विस्तारवादी कार्रवाइयों को लेकर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉटमॉरिसन ने कहा है कि इंडो-पैसिफिक (Indo-Pacific) इलाके में क्षेत्रीय दावों को लेकर तेजी से तनाव बढ़ रहा है। गौरतलब है कि इंडो-पैसिफिक में, चीन, यू.एस. और ऑस्ट्रेलिया के बीच तनाव है। जानकारों का मानना है कि एक भू-राजनीतिक साझेदारी के रूप में, क्वाड की प्रासंगिकता अब साबित हो गई है, जिसे तुरंत सशक्त बनाने जाने की आवश्यकता है।

परिचय

- COVID-19 ने कई क्षेत्रों में बदलाव ला दिया है और भू-राजनीति भी इसका अपवाद नहीं है। चीन ने COVID-19 महामारी की उत्पत्ति की जाँच के विषय में बेहद आक्रामक रवैया अपनाया साथ ही उसने अपने पड़ोसी देशों के साथ भी सीमा विवाद जैसे मसलों को उजागर किया, जिससे वैश्विक विरादरी का ध्यान कोविड-19 से हट जाये।
- गौरतलब है कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान में हुए संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव बना हुआ था। इसके अलावा हाल के दिनों में चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में आक्रामक युद्धाभ्यास, हांगकांग पर उसकी नीति, ताइवान से तनाव, अमेरिका के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी विवाद तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ गंभीर तनाव हैं। इसलिए अमरीका ने चीन से भारत और दक्षिण-पूर्वी एशिया में बढ़ते खतरों को देखते हुए यूरोप से अपनी सेना की संख्या कम करने का फैसला किया है।
- दशकों बाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था सबसे अस्थिर दौर में है। जानकारों के अनुसार इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अप्रत्याशित रूप से सैन्य आधुनिकीकरण की गति तेज हुई है।

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र और क्वॉड

- हिंद और प्रशांत महासागर से लगे हुए चार लोकतंत्र जिनकी सोच एक जैसी मानी जाती है, जो साथ-साथ आगे बढ़ सकते हैं, एक भू-राजनैतिक इलाके का निर्माण करते हैं जिसे इंडो-पैसिफिक कहते हैं, इसमें अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।
- हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ भागों को मिलाकर जो समुद्र का एक हिस्सा बनता है, उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific Area) कहते हैं। वर्तमान में इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में 38 देश शामिल हैं, जो विश्व के सतह क्षेत्र का 44 प्रतिशत है।
- क्वॉड की शुरुआत वर्ष 2007 में हुई थी। क्वॉड में चार देश अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं। मार्च में कोरोना वायरस को लेकर भी क्वॉड की मीटिंग हुई थी। इसमें पहली बार न्यूजीलैंड, द. कोरिया और वियतनाम भी शामिल हुए थे।
- क्वॉड देश आपसी बातचीत के अलावा मालाबार नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि एशिया में चीन की बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत पर लगाम लगाने के लिए इस समूह का गठन हुआ है। इस समूह के गठन के बाद से ही चीन चिढ़ा हुआ है और लगातार इसका विरोध कर रहा है। लद्दाख में चल रहे सैन्य तनाव के बीच चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स भारत को लगातार धमकी दे रहा है। साथ ही नसीहत दे रहा है कि भारत क्वाड से दूर रहे और गुटनरिपेक्षता की अपनी नीति का पालन करे।

स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए भारत को घेर रहा चीन

- जापान से लेकर अफ्रीका तक विस्तारवादी नीतियों लागू कर चीन अपनी मोतियों की माला की नीति (स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति) के तहत दक्षिण एशिया के छोटे-छोटे देशों में सामरिक एवं आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अड्डों का निर्माण करके भारत को घेरने की लंबे समय से जीतोड़ कोशिश कर रहा है। चीन, बांग्लादेश और म्यामांर में नेवल बेस की स्थापना कर रहा है। दोनों ही देशों को चीन हथियार और अन्य साजों सामान दे रहा है।
- चीन मालदीव में भारत से मात्र कुछ सौ किलोमीटर की दूरी पर एक कृत्रिम द्वीप बना रहा है। इसने श्रीलंका के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हंबनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लिए लीज पर ले लिया है। इसी तरह से चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को भी नेवल बेस के रूप में विकसित कर रहा है। जानकारों का मानना है कि मलक्का स्ट्रेट में भारत और अमेरिका की नजर से बचने के लिए चीन ग्वाादर पोर्ट का इस्तेमाल करेगा। इसी तरह से चीन कंबोडिया में भी एयर बेस और नेवल बेस बना रहा है।

चीन बनाम क्वॉड

- विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को चीन की चुनौती का सामना करने के लिए क्वॉड को और ज्यादा मजबूत करना चाहिए। कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि क्वॉड को 'एशिया का नाटो' बना दिया जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि क्वॉड में शामिल सभी देश अगर साथ आ जाएं तो चीनी ड्रैगन को आसानी से काबू में किया जा सकता है। जापान का चीन के साथ एक निर्जन द्वीप को लेकर विवाद चल रहा है। माना जा रहा है कि एशिया में जापान और चीन के बीच अगली भिड़त हो सकती है। उधर, ऑस्ट्रेलिया के पास सोलोमन द्वीप पर चीन नेवल बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। चीन के साथ अमेरिका का ट्रेड वॉर और ताइवान को लेकर विवाद बढ़ गया है। ये चारों देश एशिया के अन्य देशों के साथ मिलकर चीन को आसानी से घेर सकते हैं।
- इनके अलावा दक्षिणी चीन सागर में चीन के बढ़ते दबदबे से भी सब परेशान हैं। यहां केनटूना आइलैंड को लेकर सालों से चीन और इंडोनेशिया के बीच विवाद है। पार्सेल और स्पार्टी आइलैंड को लेकर चीन-वियतनाम आमने-सामने हैं। दक्षिणी- चीन सागर में ही जेम्स शेल पर चीन और मलेशिया दोनों दावा करते हैं। दक्षिणी चीन सागर पर चीन के दावे को लेकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत

शिपिंग का मुद्दा उठाकर चीन को चेतावनी दी है। भारत ने समंदर में आने-जाने की आजादी के सिद्धांत पर जोर देकर, समंदर के अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान कर और चारों देशों के साझा विचार के साथ तालमेल बैठाकर अपने लिए एक अलग जगह बनाई है।

क्वॉड ग्रुप के देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी

- भारत-अमेरिका के बीच 2002 में जनरल सिक्युरिटी ऑफ मिलिट्री इन्फोर्मेशन एग्रीमेंट हुआ था। इसमें तय हुआ था कि जरूरत पड़ने पर दोनों देश एक-दूसरे से मिलिट्री इंटेलिजेंस साझा करेंगे। फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दौरे से पहले ही भारत ने 2.6 अरब डॉलर (19 हजार 760 करोड़ रुपए) की लागत से 24 एमएच 60 आर मल्टीरोल हेलीकॉप्टर खरीदने की डील को मंजूरी दी है। इतना ही नहीं, चीन को काउंटर करने के लिए ही ट्रम्प ने 2016 में भारत को 'डिफेंस पार्टनर' का दर्जा दिया था।
- भारत-ऑस्ट्रेलिया की नौसेना हिंद महासागर में अभ्यास करती हैं, जिसे ऑसइंडेक्स (AUSINDEX) कहते हैं।
- भारत और जापान के बीच भी एशिया-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री डकैती जैसी घटनाओं को रोकने के लिए मिल कर काम कर रहे हैं। इसके अलावा भारत, जापान और अमेरिका की नौ सेनाएं मालाबार में एक साथ अभ्यास भी करती हैं।

भारत का दृष्टिकोण

- भारत का अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से सहयोग बढ़ रहा है। इंडो पैसिफिक इलाके में और ज्यादा औपचारिक सुरक्षा ढांचे का पक्षधर न होते हुए भी वो ये नहीं चाहता कि उसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी खास गुट के साथ हो जिसका असर उसकी क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़े, और यही वो दुविधा है जिसके कारण चार देशों के समूह और हिंद प्रशांत पर भारत का नजरिया साफ नहीं हो पाया है।
- भारत चार देशों के समूह को हिंद-प्रशांत में सक्रिय बहुत से संगठनों में से एक संगठन के तौर पर देखता है। भारत ने नौपरिवहन की आजादी और समुद्री कानूनों के सम्मान पर जो जोर दिया है उससे न सिर्फ उसका एक अलग मुकाम बना है बल्कि चार देशों के समूह के केंद्रीय विचार से भी ये मेल खाता है। भारत की हिंद-प्रशांत रणनीति महज चार देशों के समूह का नेतृत्व नहीं मानती बल्कि रणनीतिक स्वायत्तता कायम रखते हुए रूस के साथ भी अपने विकल्प खुले रखना चाहती है।
- हिंद-प्रशांत में भारत स्वायत्तता और सामंजस्य के बीच एक तालमेल बनाना चाहता है। हालांकि, ये चार देशों के समूह (चौकड़ी) को हिंद-प्रशांत से अलग देखता है, पर इसके साथ ये खतरा भी है कि क्षेत्रीय विखंडता के लिए एक सिलसिलेवार रणनीति बनाने का मौका हाथ से निकल जाए। भारत के उद्देश्य का एक सकारात्मक तर्क ये भी है कि हिंद-प्रशांत को एक सिलसिलेवार रणनीति के तौर पर देखा जाए न कि क्षेत्रीय आधार पर कुछ बंटे हुए लक्ष्यों, साझेदारियों और गठबंधनों के तौर पर। चार देशों का ये समूह, यानि क्वॉड, भारत को एक मौका देता है कि वो इलाके के मध्य में होने के नाते दोनों छोर पर रणनीतिक आधार पर अपनी सुरक्षा जरूरतों को खाड़ी से लेकर मलक्का स्ट्रेट (जल डमरू मध्य) तक पुख्ता करे।

आगे की राह

- भारत को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को एक ऐसे मंच के तौर पर देखना चाहिए जो प्रशांत के दो समुद्री छोरों को जोड़ता है। भारत को इस इलाके में अपनी मौजूदगी मजबूत करते हुए हिचकिचाहट छोड़ते हुए सुरक्षादाता की भूमिका अपनानी चाहिए। उसे होर्मुज के स्ट्रेट तक जाने में जो हिचकिचाहट है, उसे छोड़ कर मलक्का के स्ट्रेट के पार जाने से गुरेज नहीं करना चाहिए।
- 2018 के शांग्रिला डायलॉग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि भारत की हिंद-प्रशांत नीति चीन को एक किनारे लगाने के लिए नहीं है। हिंद-प्रशांत को लेकर भारत की एक सकारात्मक सोच है, जिसमें ASEAN को केंद्र में रख कर दक्षिण-पूर्व एशिया को क्षेत्र का अहम इलाका माना गया है। भारत की परिभाषा के तहत हिंद-प्रशांत 'एक स्वतंत्र, खुला, समावेशी क्षेत्र है जो हम सब को प्रगति और खुशहाली की दिशा में आगे बढ़ते हुए हर किसी को खुले दिल से स्वीकार करता है।' इसमें वो सभी देश शामिल हैं जो इस क्षेत्र के भीतर आते हैं और बाहर के भी जिनका यहां साझेदारी है।' भारत ने 'समावेशी' शब्द जोड़कर हिंद-प्रशांत की परिभाषा को वैचारिक दृष्टि से एक नया आयाम देने की कोशिश की है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:
- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

Topic:
- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

प्र. भारत को चार देशों के समूह (क्वॉड) और इंडो-पैसिफिक को अलग-अलग देखना चाहिए या सहजीवी के तौर पर? चर्चा कीजिये

06 कोविड-19 के उपरांत हरित अर्थव्यवस्था के संभावित अवसर

चर्चा का कारण

- हाल ही में नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट (आरएमआई) ने "स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था की ओर: भारत की ऊर्जा और गतिशील क्षेत्रों के लिए कोविड -19 के बाद अवसर रिपोर्ट" जारी की जिसमें भारत के भविष्य के लिए एक स्वच्छ, लचीला और कम से कम लागत वाले ऊर्जा निर्माण की दिशा में काम करने वाले प्रोत्साहन और पुनर्प्राप्ति के प्रयासों की चर्चा की गई है। इन प्रयासों में इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा भंडारण और नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- रिपोर्ट अर्थव्यवस्था में सुधार को आगे बढ़ाने और स्वच्छ ऊर्जा आधारित अर्थव्यवस्था के लिए उस सुधार को निरंतर बनाए रखने के लिए देश में अग्रणीय क्षेत्रों में सिद्धांतों और रणनीतिक अवसरों का उपयोग करने की सिफारिश करती है।
- रिपोर्ट के अनुसार ये सिद्धांत और सुअवसर भारत के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अग्रणी लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं कि कैसे प्रोत्साहन और पुनर्प्राप्ति के विकल्पों का मूल्यांकन किया जाए और उन्हें प्राथमिकता दी जाए ताकि भारत के भविष्य के लिए दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा में निवेश जारी रहे।
- रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण पाने के बाद ठीक हो जाएगी क्योंकि भारत में मजबूत लोकतांत्रिक संस्थान नीतिगत स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। आर्थिक सुधारों को यदि अच्छी तरह से लागू किया जाता है तो देश की विकास दर अन्य समकक्ष देशों से आगे रहेगी।
- इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया कि भारत का परिवहन क्षेत्र 1.7 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोक सकता है और 2030 तक, इलेक्ट्रिक व्हीकल आवाजाही और किफायती, स्वच्छ और अनुकूलित माल परिवहन के माध्यम से 600 मिलियन टन तेल बचा सकता है। साथ ही बिजली क्षेत्र में भी नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण, दक्षता और लचीला उत्पादन एवं मांग को अपनाकर महत्वपूर्ण बचत की जा सकती है।

स्वच्छ उर्जा पर COVID-19 का प्रभाव

- पिछले पांच वर्षों में, भारत ने स्वच्छ ऊर्जा और गतिशीलता के लिए अपने क्रियान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए नए प्रयास शुरू किए हैं, जिसमें 2028 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता के 500 गीगावॉट स्थापित करने और इलेक्ट्रिक वाहनों के फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग में राष्ट्रीय योगदान शामिल है। परन्तु वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह प्रश्न खड़ा होता है कि आर्थिक सुधार और स्वास्थ्य की प्राथमिकताओं के बावजूद, भारत COVID-19 के पश्चात अपने स्वच्छ ऊर्जा के एजेंडे को कैसे आगे बढ़ा सकता है?
- COVID-19 का स्वच्छ ऊर्जा पर प्रभाव पेचीदा है और निकट भविष्य में भी ऐसा ही होता हुआ प्रतीत हो रहा है। एक तरफ, बिजली, परिवहन और औद्योगिक क्षेत्रों में मांग कम होने के कारण जीवाश्म ईंधन की खपत में कमी ने भारत के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में चार दशकों में पहली बार गिरावट दर्ज की है। साथ ही COVID-19 के बाद से भारत में पर्यावरणीय जागरूकता भी बढ़ने लगी है, क्योंकि कई क्षेत्रों में काफी प्रदूषण कम हो गया था जो की कई संगठनो, संस्थानों और सरकारों के प्रयासों से भी नहीं हो पा रहा था।
- गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी ने भारत के परिवहन और बिजली क्षेत्रों के लिए नकदी अवरोध और आपूर्ति की कमी से लेकर उपभोक्ता मांग और प्राथमिकताओं में बदलाव कर, एक महत्वपूर्ण मांग और आपूर्ति पक्ष की चुनौतियों को पेश किया है। इस संदर्भ में रिपोर्ट में भी देश के नेताओं को आर्थिक सुधार में गतिशीलता लाने और स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था की दिशा में गति बनाए रखने के लिए विशिष्ट नियमों और महत्वपूर्ण अवसरों के क्रियान्वयन की सिफारिश की गई है।

भारत की स्वच्छ ऊर्जा और आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के लिए चार सिद्धांत

- रिपोर्ट में भारत के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य को मदद देने के लिए नीति निर्माताओं के लिए एक रूपरेखा के रूप में चार सिद्धांतों का वर्णन किया गया है:
    - कम से कम लागत वाली ऊर्जा समाधानों में निवेश करें।
    - लचीला और सुरक्षित ऊर्जा प्रणालियों का समर्थन करें।
    - दक्षता और प्रतिस्पर्धा को प्राथमिकता दें, और
    - सामाजिक और पर्यावरणीय इक्विटी को बढ़ावा दें।

1. **कम से कम लागत वाले ऊर्जा समाधानों में निवेश:** स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की लगातार गिरती लागत, आर्थिक रूप से व्यवहार्य स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को आगे बढ़ाने का अवसर प्रस्तुत करती है। उदाहरण के लिए, "सभी के लिए सस्ती एलईडी द्वारा उन्नति ज्योति (यूजेएएलए)" कार्यक्रम ने 18 महीनों में एलईडी बल्बों की इकाई लागत में 75 प्रतिशत से अधिक की कमी की।
2. **लचीला और सुरक्षित ऊर्जा प्रणालियों का समर्थन:** जैसा कि सर्वविदित है कि जलवायु परिवर्तन महामारी की संभावना को तेज करता है इसलिए अत्यधिक मौसम परिवर्तन का संभावित रूप भविष्य में परिस्थितियों के अनुरूप लचीलेपन को महत्वपूर्ण बनाने की दक्षतापूर्ण आवश्यकता को बढावा देता है। यह लचीलापन उद्योगों, प्रौद्योगिकियों, या

प्रणालियों के दक्ष उपयोग करने से आ सकता है जो अप्रत्याशित संकट को अनुकूलित करने में मदद करेगा।

नीति आयोग

- नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे नीति आयोग कहा जाता है, भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है, जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। भारत सरकार के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को डिजाइन करते समय, नीति आयोग केंद्र और राज्यों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है।
- नीति आयोग राज्यों को राष्ट्रीय हित में एक साथ कार्य करने के लिए भारत सरकार के सर्वोत्कृष्ट मंच के रूप में कार्य करता है, और इस तरह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है।

रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट

- रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट (आरएमआई) 1982 में स्थापित एक स्वतंत्र गैर-लाभकारी संस्था है। यह वैश्विक ऊर्जा का उपयोग स्वच्छ, समृद्ध और कम कार्बन युक्त भविष्य बनाने के लिए करती है।

3. **दक्षता और प्रतिस्पर्धा को प्राथमिकता:** भारत के विकास के स्तर को देखते हुए, संसाधनों का कुशल और विचारशील उपयोग आवश्यक है। भारत का विनिर्माण कौशल और प्रौद्योगिकी नेतृत्व समय के साथ-साथ भारत को अधिक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी निर्यात केंद्र में बदलने के लिए 'मेक इन इंडिया' का लाभ उठाने का अवसर प्रस्तुत करता है।

4. **सामाजिक और पर्यावरणीय इक्विटी को बढ़ावा देना:** भारत जो कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है हालाँकि बड़ी सामाजिक असमानताओं और सामाजिक तथा आर्थिक इक्विटी पर अतिरिक्त भार के कारण भारत की स्थिति को देखते हुए, इन सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में लागू करते समय विचार किया जाना चाहिए।

आगे की राह

- भारत को लघु, मध्यम और लंबी अवधि में आर्थिक सुधार के लिए रणनीतिक अवसरों की पहचान करने की जरूरत है जो महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन के लिए अवसरों के रूप में बदल सकते हैं।
- रिपोर्ट में सुझाई गई विशिष्ट क्रियाएं/ अवसर भारत के दो आर्थिक क्षेत्रों- परिवहन और बिजली क्षेत्रों को पुनर्जीवित कर सकती हैं जिससे वे पुनः मजबूत बन कर उभर सकते हैं।
- **परिवहन क्षेत्र में अवसरों में शामिल है**
  - सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित बनाना,
  - गैर-मोटर चालित परिवहन अवसंरचना को बढ़ावा देना और उसका विस्तार करना,
  - जहां तक संभव हो घर से कार्य कर वाहन के उपयोग को कम करना,
  - माल और यात्री खंड में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए राष्ट्रीय रणनीतियों का समर्थन करना और भारत को एक मोटर वाहन निर्यात केंद्र बनाना।
- **बिजली क्षेत्र के अवसरों में शामिल है**
  - बिजली वितरण व्यवसाय और इसके संचालन में सुधार करना।
  - नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को सक्षम बनाना।
  - ऊर्जा में लचीलापन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना।
- कोविड-19 के प्रकोप से पूरी दुनिया परेशान है क्योंकि इसने सभी के जीवन को प्रभावित किया है। सरकार स्वच्छ ऊर्जा और आवाजाही प्रणाली विनिर्माण को मजबूत करके, बिजली पर निर्भरता बढ़ाने, महंगा तेल आयात से निर्भरता कम कर और वातावरण स्वच्छ करके एकअधिक लचीला भारत बना सकती है।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

प्र. हाल ही में नीति आयोग ने कोविड-19 के प्रभाव से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए एक स्वच्छ लचीला और कम से कम लागत वाले ऊर्जा उपयोग पर बल दिया है। नीति आयोग का यह कदम कितना महत्त्वपूर्ण है? विश्लेषण करें।

07 भारत में विधि के शासन की प्रथा

चर्चा का कारण

- हाल ही में एक स्वतंत्र संगठन 'वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट' द्वारा तैयार की गयी कानून का शासन (Rule of law) सूचकांक-2020 में भारत को 69 वीं रैंकिंग प्राप्त हुई है । इस सूचकांक में दुनिया के 128 देशों को शामिल किया गया है।

परिचय

- 'वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट' इस तथ्य का विश्लेषण प्रस्तुत करता है कि विभिन्न देशों में, कानून के शासन के सिद्धांत पालन व्यवहार में कहाँ तक किया जा रहा है। इसके आयाम निम्नलिखित हैं-
- शासकीय खुलापन (open government)
- सरकार की शक्तियों पर अंकुश (constraints on government power)
- मौलिक अधिकार (fundamental rights)
- दीवानी और फौजदारी न्याय व्यवस्था (civil and criminal justice)
- भ्रष्टाचार पर अंकुश (absence of corruption)
- सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा (public order and security)
- नियामक प्रवर्तन (regulatory enforcement)
- 'वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट' सूचकांक 130,000 से अधिक घरों और 4,000 कानूनी चिकित्सकों और विशेषज्ञों के एक सर्वेक्षण के परिणामों पर आधारित है, जो यह मापता है कि दुनिया भर में कानून के नियम को कैसे माना जाता है और अनुभव किया जाता है। कवर किए गए देशों में विभिन्न राजनीतिक और न्यायिक प्रणालियां, आर्थिक स्थिति, जातीय-सामाजिक विशेषताएं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जनसंख्या जटिलता और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय समस्याएं हैं।

विधि के शासन से तात्पर्य है?

- एवी डॉयसी ने 1885 में अपनी पुस्तक 'The Law and the Constitution' में कानून के शासन की व्याख्या की थी, उसमें उन्होने शासन के तीन अर्थ बताए हैं-

1. विधि के शासन का अभिप्राय देश में कानूनी समानता का होना है।
2. विधि के शासन के अनुसार किसी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए दंडित किया जा सकता है अन्य किसी बात के लिए नहीं।
3. विधि के शासन की तीसरी शर्त यह है कि संविधान कि व्याख्या अथवा अन्य किसी भी कानूनी विषय पर न्यायाधीशों का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

- संवैधानिक इतिहासकार आइवर जेनिंग्स ने विधि के शासन को अनियंत्रित घोड़ा (unruly horse) के रूप में चिह्नित किया है। उनका मानना था कि विधि के शासन को सटीक रूप से परिभाषित करना मुश्किल है लेकिन संक्षेप में यह कुछ सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- थॉमस फुल्लर के अनुसार कानून के शासन का एक और मूल सिद्धांत है कि आप कितने ऊंचे क्यों न हों कानून आपके ऊपर है (Be you ever so high the law is above you) इसलिए कोई भी, चाहे वह प्रधानमंत्री, स्पीकर, इमाम, आर्कबिशप, शंकराचार्य, या न्यायाधीश हो वह कानून से बंधे हुए हैं।

भारत में विधि का शासन

- विधि शासन का प्रमुख सिद्धान्त कानून के समक्ष सभी लोगों की समता है अर्थात कानून सर्वोपरि है और वह देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। इसे कानून का शासन भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में यह शासन अंग्रेजी-अमेरिकी विधान से लिया गया है।
- विधि के शासन के अंतर्गत राज्य का प्रत्येक अधिकारी अपने आप को विधि के अधीन समझेगा और कानून का पालन करेगा। इसमें राज्य के तीनों अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका कानून के अनुसार कार्यवाही किए जाने के लिए बाध्य है। विधि के शासन के अंतर्गत व्यक्ति संबंधी सभी स्वतंत्रताएं इसमें शामिल मानी गई हैं और इसे संविधान का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। विधि के शासन के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों के द्वारा संवैधानिक सीमाओं के अंदर अपनी कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। यदि उनके द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता है या सीमा से अधिक किया जाता है तो जनता उनके आचरण को चुनौती दे सकती है और न्यायालय उनके आचरण में सुधार करेंगें।
- विधि के शासन के अंतर्गत सरकारी अधिकारियों को मनमाना विवेकाधिकार प्राप्त नहीं होंता है, किसी भी व्यक्ति के पास विवेकाधिकार की असीमित शक्तियां नहीं होती हैं। सभी व्यक्तियों को विवेकाधिकार का प्रयोग विधि के अनुसार दी गई शक्तियों के अंतर्गत करना होता है।
- विधि के शासन के अंतर्गत सभी विधि के उल्लंघन करने वाले को दण्डित किया जाता है। सभी व्यक्तियों पर देश का संपूर्ण कानून बराबरी से लागू होता है, कोई भी व्यक्ति विधि के उपर नहीं माना जाता है, किसी भी सरकारी अधिकारी-कर्मचारी, नेता को विशेष छूट नहीं होती है।
- भारत में केशवानन्द भारती केस 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "विधि का शासन संविधान की मूलभूत संरचना है। बाद में जबलपुर एडीएम बनाम एस के शुक्ला में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान ही विधि का शासन है।
- वर्ष 1981 के एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा था कि न्यायाधीशों को आर्थिक या राजनीतिक शक्ति के सामने सख्त होना चाहिये और उन्हें विधि के शासन (Rule of Law) के मूल सिद्धांत को बनाए रखना चाहिये।
- भारत में कानून के शासन नागरिकों और गैर-नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है।

विधि के शासन की सीमाएं

- आज बदलते विश्व परिवेश व राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप कानून के शासन

का अर्थ भी बदल गया है। आज कानून के शासन को चुनौती देने वाली व्यवस्थाएं जन्म ले चुकी हैं। विधायिका के पास कार्यभार की अधिकता के कारण आज कुछ मामलों में कानून को विस्तृत व व्यापक रूप कार्यपालिका ही देती है। यही व्यवस्था प्रदत्त व्यवस्थापन कहलाती है। इस प्रकार कानून संसद के हाथों से निकलकर कार्यपालिका के पास आ चुका है।

- आज अनेक देशों में राजनीतिक प्रतिविधियों व कर्मचारियों को विशेषाधिकार व उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। अपने गलत कार्यों के लिए विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों पर मुकद्दमा विशेष परिस्थितियों में ही चलाया जा सकता है।
- आज अनेक देशों में सैनिक व्यवस्था को पूर्णतया स्वतन्त्र दर्जा दिया गया है। सेना के अपने न्यायालय व बोर्ड होते हैं जो सैनिकों द्वारा किए गए अपराधों की जांच करते हैं व सजा देते हैं। सैनिक न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध किसी तरह की अपील साधारण न्यायालयों में या कहीं भी नहीं की जा सकती हैं। भारत में सैनिक न्यायालयों को अलग व स्वतन्त्र दर्जा प्राप्त है।
- भारत, अमेरिका आदि देशों में नागरिक अधिकारों व स्वतन्त्रताओं का जन्म संविधानिक प्रावधानों की देन है, न कि न्यायिक निर्णयों की।

भारत में कानून के शासन का विश्लेषण

- वर्षों से भारत आतंकवाद से पीड़ित है, जिसे दृढ़ता से लड़ने की जरूरत है। हालांकि, आतंकवाद-रोधी कानूनों में ऐसे प्रावधान नहीं होने चाहिए जो मानव अधिकारों को क्षीण करते हों। एक कानून जो संदिग्ध आतंकवादियों की हत्या की अनुमति देता है या कार्यकारी शक्तियों द्वारा सुनवाई के बिना निरोध को वैध बनाता है, वह कानून के शासन का विनाशकारी रूप है।
- इसके अतिरिक्त नकली मुठभेड़ों और मुठभेड़ विशेषज्ञों (Encounter Specialists) का कानून के शासन के आधार पर सरकार में कोई स्थान नहीं है।
- जब शासन कानून कायम रखने में विफल हो जाता है तो यह लोकतंत्र, समानता और मौलिक अधिकारों के लिए खतरे की तरह है, जो संविधान के आधारभूत सिद्धांत हैं। फिर भी भारत में कहीं से कोई असंतोष के स्वर नहीं सुनाई देते, जो कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है। अकसर प्रक्रियाओं, प्रणालियों और प्रभावी लोगों की कमी के कारण कानून अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाता है और यह भारत के शासन संरचना के लिए गंभीर समस्या का कारण बनता है।
- भारतीय अदालतों में वर्तमान में कई मामले लंबित हैं अतः जिस दर पर न्याय मिल रहा है, उसमें तभी सुधार होगा, जब प्रत्येक मामले को कुशलता से सुना जाए।

आगे की राह

- COVID-19 महामारी के संदर्भ में देखा जाये तो कोई भी राष्ट्र न केवल स्वास्थ्य क्षेत्र में, बल्कि कई मानवीय गतिविधियों में त्वरित निर्णय लेने और त्वरित कार्यों के लिए संकट से गुजर रहे हैं। ऐसे में देखा जाये तो आपातकालीन स्थितियां सामान्य निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की प्रतीक्षा नहीं करती हैं। असाधारण समस्याओं के साथ असाधारण कठिनाइयों से निपटने के लिए सरकार के पास अधिकार हो सकते हैं लेकिन, राज्य की शक्तियों को मनमानी न होकर कानून के नियम के अनुरूप होना चाहिए।
- कोरोना महामारी के कारण कई देशों को इस जानलेवा महामारी से लड़ते हुए व्यक्तिगत अधिकारों (personal rights) से संबंधित मामलों में बलिदान करने पड़ते हैं। कोविड- 19 बीमारी को नियंत्रित करने के लिए कुछ हद तक आने जाने की स्वतंत्रता, पारदर्शिता, आदि पर नियंत्रण राज्य द्वारा लगाया गया है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या महामारी का इस्तेमाल निजी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के रूप में किया जा सकता है जबकि कुछ देशों में राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई हैं। भारत जैसे देश में कानून के शासन की नींव काफी मजबूत है, जो महामारी से होने वाले खतरों से बचने के लिए महत्वपूर्ण है।
- विधि-शासन की स्थापना और सुरक्षा आसान नहीं है। यह काफी कठिन है और सभी संस्थानों को अपने कार्यों को निर्धारित कानूनों के अनुसार करने की आवश्यकता है। समान रूप से, लोगों को कानूनों का सम्मान करने और कानून संस्कृति का शासन विकसित करने की आवश्यकता है। यदि कोई कानून के लिए खड़ा नहीं है, तो विधि शासन को संरक्षित नहीं किया जा सकता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- कार्यपालिका और न्यायपलिका की संरचना, संगठन और कार्य- सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका।

प्र. विधि के शासन की स्थापना और सुरक्षा आसान नहीं है। यदि कोई कानून के लिए खड़ा नहीं है, तो विधि के शासन को संरक्षित नहीं किया जा सकता है। चर्चा कीजिये।

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स

01 अमेरिकी चार्टर के हस्ताक्षर की 75 वीं वर्षगांठ

1. चर्चा का कारण

- हाल ही मे भारत समेत 5 देशों की आपत्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के गठन की 75वीं सालगिरह के घोषणापत्र के ड्राफ्ट से एक विवादित पदवाक्य (फ्रेज) को हटा दिया गया। यह पदवाक्य चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से इस्तेमाल किए गए एक वाक्यांश से मिलता-जुलता था, जिसे लेकर भारत के अलावा ब्रिटेन और अमेरिका भी आपत्ति जताने वाले 6 देशों में शामिल थे।

2. परिचय

- यूएन आम सभा के अध्यक्ष तिज्जानी मोहम्मद-बांदे ने घोषणापत्र का ड्राफ्ट मौन प्रक्रिया के तहत सभी सदस्य देशों में वितरित किया था। इस प्रक्रिया के तहत यदि कोई सदस्य देश ड्राफ्ट पर एक निश्चित समय के दौरान आपत्ति नहीं जताता है तो उसे घोषणापत्र के तौर पर मंजूरी दे दी जाती है।
- एक चौरिटेबल संस्था यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन-यूके (यूएनए-यूके) के मुताबिक, इस वैश्विक संस्था में कार्यवाहक ब्रिटिश राजदूत जोनाथन एलेन ने 24 जून को मौन प्रक्रिया को तोड़ दिया है।
- यूएनए-यूके के मुताबिक, जोनाथन ने 'फाइव आइज' इंटेलिजेंस कम्युनिटी की तरफ से मौन प्रक्रिया को तोड़ते हुए आपत्ति जताई थी। इन फाइव आइज में ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और भारत शामिल हैं।
- यूएनए-यूके के मुताबिक, छह देशों ने घोषणापत्र के अंत में दिए गए एक वाक्यांश पर आपत्ति जताई थी। यह वाक्यांश कुछ ऐसा था, 'एक साझा भविष्य के लिए हमारी साझा दृष्टि को महसूस करना।'

3. आपत्ति का कारण

- इन छह देशों ने इस वाक्यांश को हटाकर एक अन्य वाक्यांश को शामिल करने की मांग की थी, जिसमें कहा गया था, 'यूएन चार्टर की प्रस्तावना में उल्लिखित बेहतर भविष्य के लिए हमारी साझा दृष्टि को साकार करना'।
- यूएनए-यूके के मुताबिक, इन छह देशों ने पुराने वाक्यांश को हटाने की मांग इसलिए की थी, क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हु जिंताओ ने 2012 में 18वीं पार्टी महासम्मेलन में अपनी विदेशी नीति आकांक्षाओं को जाहिर करने वाली रिपोर्ट में ठीक ऐसे ही वाक्यांश का इस्तेमाल किया था।

4. संयुक्त राष्ट्र अधिकारपत्र क्या है

- संयुक्त राष्ट्र अधिकारपत्र (UN Charter) वह पत्र है जिस पर 50 देशों के हस्ताक्षर करने से संयुक्त राष्ट्र स्थापित हुआ था। आमतौर पर इस पत्र को संयुक्त राष्ट्र का संविधान माना जाता है, लेकिन हकीकत में यह एक संधि है।
- इस पर 26 जून 1945 को जरूरी 50 हस्ताक्षर हुए. संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ था। उस समय पांच मुख्य संस्थापक देशों चीन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सोवियत संघ ने इस पत्र को स्वीकार किया था।
- संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को इसके आर्टिकल्स पर अमल करना होता है।

5. फाइव आइज

- यह एक खुफिया गठबंधन है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
- ये देश बहुपक्षीय यूएनए-यूके समझौते के पक्षकार हैं। यूएनए-यूके समझौता, सिग्नल इंटेलिजेंस में संयुक्त सहयोग हेतु एक बहुपक्षीय समझौता है।

02 आईपीसी की धारा-309

1. चर्चा का कारण

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, दुनिया में 15-29 साल के लोगों में मौत की दूसरी सबसे बड़ी वजह आत्महत्या है। रिपोर्ट बताती है कि हर साल दुनिया में आठ लाख लोग तथा भारत में 1.30 लाख लोग आत्महत्या कर रहे हैं। वहीं युवाओं में डिप्रेशन के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है।

2. पृष्ठभूमि

- स्वतंत्रता मिलने के पश्चात भारत के अलावा पाकिस्तान और म्यांमार में भी शीर्षक बदलकर भारतीय दंड संहिता को ज्यों का त्यों लागू किया गया था।
- भारत में आत्महत्या को मानसिक स्वास्थ्य के साथ जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसके पीछे सामाजिक, पारिवारिक, यातना, पीड़ा और आर्थिक हानि जैसे कारण भी होते हैं।
- विधि आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह मानवीय आधार पर लिया गया निर्णय है, जिसमें आत्महत्या का प्रयास अब अपराध नहीं माना जा सकता है।

3. आईपीसी की धारा-309

- 19 वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा लाया गया कानून, उस समय की सोच को दर्शाता है जब हत्या या खुद को मारने का प्रयास राज्य के खिलाफ अपराध के साथ-साथ धर्म के खिलाफ भी माना जाता था।
- आईपीसी की धारा 309 के तहत जो व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है, उसके लिए सजा का प्रावधान है। इसमें व्यक्ति को एक वर्ष के लिए साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे एक वर्ष तक (या जुर्माना, या कारावास या दोनों के साथ) बढ़ाया जा सकता है।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में भारत में आत्महत्या को गैर-अपराधिक कृत्य घोषित किया गया था, परन्तु, भारतीय दंड संहिता की धारा 309 अभी समाप्त नहीं हुई है। हालांकि, जुलाई 2018 में लागू होने वाले द मेंटल हेल्थकेयर एक्ट (MHCA), 2017 ने धारा 309 के इस्तेमाल की गुंजाइश काफी कम कर दी है। एमएचसीए ने केवल एक अपवाद के रूप में आत्महत्या का प्रयास करने वाले को दंडित करने का प्रावधान किया है।

4. द मेंटल हेल्थकेयर एक्ट (MHCA), 2017

- वर्ष 2017 में लागू किये गए इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मानसिक रोगों से ग्रसित लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा और सेवाएँ प्रदान करना है। साथ ही यह अधिनियम मानसिक रोगियों के गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार को भी सुनिश्चित करता है।
- एमएचसीए की धारा 115 (1) में वर्णित है कि "भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के निरस्त होने के बावजूद, कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या करने का प्रयास करेगा, तो तब तक उसे अपराध नहीं माना जाएगा, जब तक कि यह अन्यथा साबित न हो या वह व्यक्ति गंभीर तनाव में हो तब उक्त कोड के तहत उस व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया जायेगा और उसे दंडित नहीं किया जायेगा।
- धारा 115 (2) कहती है कि "उपयुक्त सरकार का कर्तव्य होगा कि वह किसी व्यक्ति को देखभाल, उपचार और पुनर्वास प्रदान करे, जिससे उसे गंभीर तनाव न हो और वह आत्महत्या करने की कोशिश के कारण मिली सजा को कम करने के लिए पुनः आत्महत्या करने का प्रयास न करे।

5. धारा-309 को निरस्त करने के पूर्व प्रयास

- 1971 में, विधि आयोग ने अपनी 42 वीं रिपोर्ट में आईपीसी की धारा 309 को निरस्त करने की सिफारिश की।
- आईपीसी (संशोधन) विधेयक, 1978 भी राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन इससे पहले कि इसे लोकसभा द्वारा भी पारित किया जा सकता संसद भंग कर दी गई और विधेयक समाप्त हो गया।
- 1996 जियान कौर बनाम पंजाब राज्य,1996 में सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने धारा 309 की वैधता को बरकरार रखा।
- मार्च 2011 में, सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से सिफारिश की कि वह इस धारा को हटाने की व्यवहार्यता पर विचार करे।
- 2014 में, राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में, तत्कालीन राज्यमंत्री ने कहा था कि सरकार ने 18 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा विधि आयोग की सिफारिश का समर्थन करने के बाद आईपीसी से धारा 309 को हटाने का फैसला किया था। हालांकि, यह मामला अपने तार्किक निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाया।

03 डीकार्बोनेटिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज प्रोजेक्ट

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में नीति आयोग और OECD के इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ने भारत में इमर्जिंग इकोनॉमीज प्रोजेक्ट में संयुक्त रूप से Decarbonizing Transport का शुभारंभ किया।

2. डीकार्बोनेटिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज प्रोजेक्ट

- यह विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में डीकार्बोनाइजेशन ट्रांसपोर्ट का समर्थन करता है।
- वर्तमान में इसमें भारत, अर्जेंटीना, अजरबैजान और मोरक्को देश शामिल है।
- DTEE अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम (ITF) और जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर द एनवायरमेंट, नेचर कंजर्वेशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी के इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव (ICI) द्वारा समर्थित वुप्पर्टल इंस्टीट्यूट के बीच सहभागिता का परिणाम है।
- यह परियोजना सरकार को वर्तमान और भविष्य के परिवहन गतिविधियों की विस्तृत समझ प्रदान करेगी और CO_2 उत्सर्जन से संबंधित उनके निर्णय लेने के आधार के रूप में कार्य करेगी।

3. प्रोजेक्ट का उद्देश्य

- इस महत्वाकांक्षी पंचवर्षीय परियोजना द्वारा मॉडलिंग टूल और नीति परिदृश्यों के विकास के माध्यम से भारत को कम कार्बन परिवहन प्रणाली की ओर एक मार्ग विकसित करने में मदद मिलेगी।
- यह परियोजना भारत के लिए जरूरत के मुताबिक परिवहन उत्सर्जन मूल्यांकन रूपरेखा तैयार करेगी।
- DTEE परियोजना भारत को अपनी जलवायु महत्वाकांक्षाओं के उचित कार्यान्वयन करने में मदद करेगी।

4. अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम (ITF)

- इस वर्ष 2006 में 43 देशों के मंत्रियों द्वारा स्थापित किया गया था।
- वर्तमान में यह 60 सदस्य देशों के साथ आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के अंतर्गत एक अंतर-सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है।
- यह परिवहन नीति के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और परिवहन मंत्रियों के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है।
- ITF एकमात्र वैश्विक निकाय है, जो सभी परिवहन साधनों को शामिल करता है।
- ITF प्रशासनिक रूप से OECD के साथ एकीकृत है, फिर भी राजनीतिक रूप से स्वायत्त है।

5. अन्य प्रमुख बिंदु

- भारत का परिवहन क्षेत्र तीसरा सबसे अधिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक क्षेत्र है, जहां प्रमुख योगदान सड़क परिवहन क्षेत्र से आता है।
- भारत में कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में से 13 प्रतिशत परिवहन क्षेत्र से आते हैं। 1990 से ये उत्सर्जन तीन गुना से अधिक हो चुका है।

6. आगे की राह

- सामाजिक-आर्थिक कारकों जैसे कि जनसंख्या, आयु, आय आदि के बारे में हमारे विविध जनसांख्यिकी को देखते हुए, भारत में परिवहन की मांग का पहले अनुमान लगाना और फिर CO_2 उत्सर्जन की गणना के लिए एक विस्तृत मॉडलिंग करना महत्वपूर्ण होगा।
- यह परियोजना हमारी भविष्य की शहरी नीतियों को बहुत अच्छी तरह से परिभाषित कर सकती है और हमें नीतियों को डिजाइन करने में मदद कर सकती है, जिससे भारत में सम्पूर्ण परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र के अत्यधिक कुशल और प्रभावी होने की संभावना है।
- हमारा देश बहुत तेजी से शहरीकरण कर रहा है, जो विभिन्न प्रकार के बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से गतिशीलता के प्रावधान के संदर्भ में बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकता है। इसलिए शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ हमारी रणनीतियों को भी हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए।

04 जापान ने विवादित द्वीपों की प्रशासनिक स्थिति बदली

1. चर्चा का कारण

- जापान ने हाल ही में उन द्वीपों की प्रशासनिक स्थिति को बदलने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिन पर चीन और जापान दोनों ने दावा किया है।

2. प्रमुख बिन्दु

- जापान के ओकिनावा नगर परिषद ने इस बिल को मंजूरी दी है। इसके बाद इशिगा की सिटी काउंसिल जापान में सेनकाकु और चीन में डियाओउ के रूप में चिन्हित द्वीप समूह की प्रशासनिक स्थिति को बदल देगा। गौरतलब है कि इस द्वीप समूह में वर्तमान में लोग नहीं रहते हैं।
- जापान और चीन के बीच पूर्वी चीन सागर के द्वीपों को लेकर लंबे समय से विवाद है। जापान जहाँ इसे टोनोशीरो सेनकाकू (TonoshiroSenkaku) द्वीप कहता है, वहीं चीन डियाओयू द्वीप बताकर इस पर दावा करता है।
- इन द्वीपों के समूह का क्षेत्रफल 1,931 किलोमीटर (लगभग 1,200 मील) है और यह टोक्यो के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। 1972 के बाद से जापानी प्रशासन के तहत, चीन ने इसकी भूमि पर अपने कब्जे का दावा करते हुए कहा था कि यह सैकड़ों साल पहले से उसका है।
- गौरतलब है कि द्वीपों के आस-पास के क्षेत्र में चीन की उपस्थिति पिछले कुछ महीनों से बढ़ रही है। जापानी सरकार ने दावा किया कि अप्रैल के मध्य से चीनी जहाजों को देखा जा रहा था, जो इस क्षेत्र में सबसे अधिक देखे जाने के लिए नया रिकॉर्ड स्थापित कर रहे थे।

3. चीन की प्रतिक्रिया

- जापान की इस घोषणा से चीन ने तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए एक बयान जारी किया। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, कि डियाओयू द्वीप और उससे संबद्ध द्वीप चीन के निहित क्षेत्र हैं। यह तथाकथित प्रशासनिक फेरबदल चीन के क्षेत्रीय संप्रभुता को उकसाने वाला है।
- इसके अतिरिक्त, चीन ने द्वीपों के आस-पास के क्षेत्र में जहाजों के 'बेड़े' को भेज दिया है।

4. सेनकाकू द्वीप समूह की अहमियत

- सेनकाकू एक निर्जन द्वीप समूह है, जो पूर्वी चीन-सागर में स्थित है। इस द्वीपसमूह में कुल आठ द्वीप हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 7 वर्ग किमी. है। यह द्वीप ताइवान के उत्तर-पूर्वी दिशा में स्थित है।
- जानकारों का मानना है कि सामरिक और व्यापारिक नजरिये से सेनकाकू की बहुत अहमियत है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि सेनकाकू द्वीप प्रशांत महासागर के व्यस्त शिपिंग मार्गों में पड़ता है। साथ ही ये दुनिया के सबसे संपन्न मत्स्यन क्षेत्र में से एक है।
- जानकारों के अनुसार यहां कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। माना जाता है कि पूरे पूर्वी चाइना-सागर में कच्चे तेल और गैस का जितना भंडार है, उसका अधिकतर हिस्सा ओकिनावा के आसपास के हिस्से में है। चूंकि सेनकाकु भी इसी हिस्से में है, इसलिए यहां भी कच्चे तेल और गैस का बड़ा भंडार होने का अनुमान है।

5. अमेरिका की भूमिका

- जापान एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर है। 1951 में जापान और अमेरिका के बीच सुरक्षा करार हुआ था। इसके तहत अमेरिका ने योको-सुवा, कनागाव और ओकिनावा जैसे जापानी ठिकानों पर अपने सैन्य बेस बनाए और बदले में जापान को गारंटी मिली कि अगर उसके ऊपर हमला हुआ, तो अमेरिका उसकी सुरक्षा करेगा। इसी करार के कारण जब सेनकाकु पर चीन की धमकियां बढ़ीं, तो अमेरिका की प्रतिक्रिया सामने आई।
- अमेरिका ने कहा कि सेनकाकु की सुरक्षा करना उसके द्विपक्षीय करार का हिस्सा है। अमेरिका ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी, तो जापान की तरफ से वो इस द्वीप की हिफाजत करेगा। यानी अगर चीन और जापान के बीच तनाव बढ़ा तो अमेरिका भी पीछे नहीं हटेगा।

05 जीलैंडिया

1. चर्चा का कारण

- न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने एक नए महाद्वीप का पता लगाया है, जिसका नाम उन्होने जीलैंडिया रखा है। यह ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण- पूर्व में न्यूजीलैंड के ऊपर है, हालांकि ये महाद्वीप समुद्र के भीतर है।
- वैज्ञानिकों का दावा है कि यह महाद्वीप करीब 2.30 करोड़ वर्ष पहले समुद्र में समा गया था। इस महाद्वीप के बारे में पहली बार तीन वर्ष पहले पता चला था, तब से इस पर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं।

2. प्रमुख बिन्दु

- वैज्ञानिकों का कहना है कि ये महाद्वीप कहलाने की शर्तों को पूरा करता है और इसीलिए इसे महाद्वीपीय पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है।
- अमरीकी जर्नल जियो लॉजिकल सोसायटी में प्रकाशित एक लेख में शोधकर्ताओं ने बताया है कि जीलैंडिया का क्षेत्रफल 50 लाख वर्ग किलोमीटर है, जोकि पड़ोसी ऑस्ट्रेलिया से आकार से थोड़ा ही छोटा है। (ऑस्ट्रेलिया के भूक्षेत्र का दो तिहाई)
- इसका 94 फीसदी हिस्सा पानी के भीतर है। केवल कुछ द्वीप और तीन विशाल भू-क्षेत्र ही पानी के बाहर नजर आते हैं।
- महाद्वीप बनने के लिए जरूरी है कि भू-क्षेत्र पानी के ऊपर रहे। लेकिन शोध कर्ता एक अलग कोण और बिंदु से इसे देख रहे हैं। जो निम्नलिखित हैं-
  - आस-पास के क्षेत्र से भू-क्षेत्र का उठान
  - विशेष भूगर्भीय संरचना
  - निश्चित क्षेत्रफल
  - समुद्र की सतह से मोटी भूपर्पटी
- शोधकर्ताओं का कहना है, जीलैंडिया को महाद्वीप के रूप में वर्गीकृत करना केवल इसे एक अतिरिक्त नाम देना नहीं है। क्योंकि इससे महाद्वीपीय पर्पटी की संरचना को समझने में भी मदद मिलेगी कि कोई भू-क्षेत्र समुद्र में डूब कर भी अविभाजित रह सकता है।
- वैज्ञानिकों का कहना है कि जीलैंडिया महाद्वीप गोंडवाना लैंड से 7.90 करोड़ साल पहले टूटा था।
- वैज्ञानिकों के अनुसार जीलैंडिया का अपना भूशास्त्र है, और इसका तल समुद्र तल से कहीं ज्यादा मोटा और कठोर है।
- यह तीन बड़े भू-भागों से मिलकर बना है। इसमें न्यूजीलैंड का उत्तरी और दक्षिणी द्वीप तथा न्यू कैलिडोनिया का उत्तरी हिस्सा शामिल है।

3. लॉर्ड होव आइलैंड के पास निकली गुंबदनुमा चट्टान

- जीलैंडिया का पूरा हिस्सा समुद्र के अंदर है, लेकिन लॉर्ड होवे आइलैंड के पास बॉल्स पिरामिड नाम की चट्टान समुद्र से बाहर निकली हुई है। इसी जगह से पता चलता है कि समुद्र के नीचे एक और महाद्वीप है। महाद्वीप का 94 फीसदी हिस्सा पानी में डूबा हुआ है।

06 सतत पहल

1. चर्चा का कारण

- इंडियन ऑयल, एनटीपीसी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने गैसीकरण तकनीक का उपयोग करते हुए दिल्ली के ओखला लैंडफिल साइट पर अपशिष्ट से ऊर्जा सुविधा विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- गौरतलब है कि पिछले वर्ष नीति आयोग ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अलावा उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने भलस्वा लैंडफिल साइट को खत्म करने के लिए 1200 करोड़ रुपये का खर्च होने का अनुमान लगाया था।

2. प्रमुख बिन्दु

- यह संयंत्र प्रति वर्ष नगरपालिका अपशिष्टों के दहनशील घटकों से उत्पन्न होने वाले 17,500 टन अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन (Refuse Derived Fuel- RDF) को संसाधित करेगा, जिसका उपयोग बिजली उत्पन्न करने में किया जाएगा।
- संयुक्त उपक्रम द्वारा स्थापित किए जाने वाले संयंत्र से, ठोस अपशिष्ट से बिजली, बायो-मीथेन गैस और अन्य उत्पाद बनाएं जाएंगे, साथ ही यह लैंडफिल साइट पर कचरे के भार को भी कम करने में मदद करेगा।

3. सतत पहल क्या है?

- सतत पहल एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य विकास से जुड़े एक ठोस प्रयास के रूप में किफायती परिवहन या आवाजाही के लिए टिकाऊ विकल्प मुहैया कराना है जिससे वाहनों का इस्तेमाल करने वालों के साथ-साथ किसान एवं उद्यमी भी लाभान्वित होंगे।
- देश भर में स्थापित इस हजारों संयंत्रों से प्राप्त सीबीजी पर आधारित गैस ग्रिड के विस्तारीकरण से भारत का आयात बोझ काफी घट जाएगा और इसके साथ ही पारंपरिक पेट्रोलियम ईंधनों का एक किफायती एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्प मिलेगा।
- यह अपशिष्ट या कचरे से संपदा सृजित करने का एक उद्यम है। यह योजना भावी उद्यमियों के लिए लाभदायक है क्योंकि इसके तहत गारंटीड रिटर्न मिलता है। तेल विपणन कंपनियों द्वारा इसका निश्चित उठाव किया जाता है, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध है और इसके लिए किसी विशेष प्रौद्योगिकी के होने की शर्त शामिल नहीं है।
- बैंक इन परियोजनाओं की लाभप्रदता को ध्यान में रखते हुए इनके लिए आवश्यक सहयोग देने को तैयार है। सरकार इस तरह की परियोजनाओं के लिए उदार शर्तों पर ऋण मुहैया कराने हेतु संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कोष और जापानी सरकार से बात कर रही है।
- शहरी गैस वितरण (सीजीडी) प्रणाली 400 जिलों में उपलब्ध होगी जो कंप्रेस्ड बायो-गैस के लिए तैयार बाजार उपलब्ध कराएंगे।

4. अपशिष्ट को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लाभ

- शहरों में अपशिष्ट प्रबंधन से वायु प्रदूषण में कमी आएगी, साथ ही कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। इससे किसानों को लाभ होगा जो काफी मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं।
- इस प्रकार के संयंत्रों से जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं में सहायता मिलेगी। साथ ही प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के आयात में कमी होगी जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

5. बायोगैस

- यह गैस का वह मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री के विघटन से उत्पन्न होती है। इसका मुख्य घटक मीथेन है, जो ज्वलनशील है जिसे जलाने पर ताप और ऊर्जा मिलती है।
- बायोगैस का उत्पादन एक जैव-रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसके तहत कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया जैविक कचरे को उपयोगी बायोगैस में बदलते है। इस गैस को जैविक गैस या बायोगैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका उत्पादन जैविक प्रक्रिया (बायोलॉजिकल प्रॉसेस) द्वारा होता है।
- यह गैस विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था के लिए उर्जा की आपूर्ति को पूरा करती है। साथ ही बायोगैस तकनीक अवायवीय पाचन (Anaerobic digestion) के बाद उच्च गुणवत्ता वाली खाद प्रदान करती है जो कि सामान्य उर्वरक की तुलना से बहुत अच्छी होती है।

07 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 10,000 करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ अखिल भारतीय स्तर पर असंगठित क्षेत्र के लिए एक नई केन्द्र प्रायोजित "सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना (एफएमई)" को स्वीकृति दे दी है। इस व्यय को 60:40 के अनुपात में भारत सरकार और राज्यों के द्वारा साझा किया जाएगा।

2. पृष्ठभूमि

- करीब 25 लाख अपंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण उद्यम हैं जो इस क्षेत्र का 98 प्रतिशत है और ये असंगठित तथा अनियमित हैं। इन इकाईयों का करीब 68 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है और इनमें से भी 80 प्रतिशत परिवार आधारित उद्यम हैं।
- यह क्षेत्र बहुत सी चुनौतियों जैसे ऋण तक पहुँच होना, संस्थागत ऋणों की ऊँची लागत, अत्याधुनिक तकनीक की कमी, खाद्य आपूर्तिशृंखला के साथ जुड़ने की अक्षमता और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानकों के साथ अनुपालन का सामना करता है।

3. उद्देश्य

- सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के द्वारा वित्त अधिगम्यता में वृद्धि के साथ-साथ लक्षित उद्यमों के राजस्व में वृद्धि करना इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है।
- खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का अनुपालन तथा असंगठित क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में पारगमन के साथ-साथ महिला उद्यमियों और आकांक्षापूर्ण जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- अपशिष्ट से धन अर्जन गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ जनजातीय जिलों में लघु वन उत्पाद पर ध्यान दिया जाएगा।

4. मुख्य विशेषताएँ

- इस योजना के तहत व्यय को 60:40 के अनुपात में भारत सरकार और राज्यों के द्वारा साझा किया जाएगा।
- योजना को 2020-21 से 2024-25 तक के लिए 5 वर्ष की अवधि हेतु कार्यान्वित किया जाएगा।

5. प्रशासनिक और कार्यान्वयन तंत्र

- इस योजना की निगरानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगमंत्री की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रिस्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (आईएमईसी) के द्वारा केन्द के स्तर पर की जाएगी।
- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य/संघ शासित प्रदेशों की एक समिति एसएचजी/ एफपीओ/ को ओपरेटिव के द्वारा नई इकाईयों की स्थापना और सूक्ष्म इकाईयों के विस्तार के लिए प्रस्तावों की निगरानी और अनुमति/अनुमोदन करेगी।
- राज्य/संघ शासित प्रदेश इस योजना के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न गतिविधियों को शामिल करते हुए वार्षिक कार्ययोजना तैयार करेंगे।

6. नोडल विभाग और एजेन्सी

- राज्य/संघ शासित प्रदेश नोडल एजेंसी (एसएनए) राज्य/संघ शासित प्रदेशों में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होने के साथ-साथ राज्य/संघ शासित प्रदेश स्तर पर योजना की तैयारी और प्रमाणीकरण, समूह विकास योजना, इकाईयों और समूहों आदि को सहायता प्रदान करते हुए जिला, क्षेत्रीय स्तर पर स्रोत समूह के कार्य की निगरानी करेगी।

7. प्रभाव और रोजगार सृजन

- करीब आठ लाख सूक्ष्म-उद्यम सूचना, बेहतर विवरण और औपचारिक पहुँच के माध्यम से लाभान्वित होंगे। इसके अलावा 2,00,000 सूक्ष्म उद्यमों तक ऋण से जुड़ी सब्सिडी और हैंडहोल्डिंग सहायता को बढ़ाया जाएगा।
- यह उन्हें संगठित, विकसित और प्रतिस्पर्धी बनने में समर्थ बनाएगा। साथ ही इस परियोजना से नौ लाख कुशल और अल्प-कुशल रोजगारों के सृजन की संभावना है।
- इस योजना में आकांक्षापूर्ण जिलों में मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों, और महिला उद्यमियों को ऋण तक पहुँच बढ़ाया जाना शामिल है। इससे संगठित बाजार के साथ बेहतर समेकन होने के साथ-साथ, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण आदि जैसी समान सेवाओं को पहुँच में वृद्धि होगी।

7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

01 संयुक्त राष्ट्र चार्टर की 75वीं वर्षगांठ

प्र. हाल ही में चर्चित संयुक्त राष्ट्र चार्टर की 75वीं वर्षगांठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. संयुक्त राष्ट्र चार्टर वह पत्र है, जो 50 देशों के हस्ताक्षर करने से स्थापित हुआ था।
2. इस पत्र को संयुक्त राष्ट्र का संविधान माना जाता है।
3. संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के बाद ही 24 अक्टूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1 व 2
(c) 1, 2 और 3 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में भारत समेत 5 देशों की आपत्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र के गठन की 75वीं सालगिरह के घोषणा पत्र के ड्राफ्ट से विवादित पदवाक्य (फ्रेज) को हटा दिया गया है। ज्ञातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 50 देशों ने 26 जून, 1945 को हस्ताक्षर किए थे। इसी के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इस संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अत: उत्तर (C) होगा।

02 आईपीसी की धारा-309

प्र. आईपीसी की धारा-309 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा लाया गया कानून था।
2. आईपीसी की धारा-309 के तहज जो व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है, तो उसके लिए इस धारा में सजा का प्रावधान है।
3. वर्ष 1971 में गठित विधि आयोग ने अपनी 42वीं रिपोर्ट में इस धारा को जारी रखने की सिफारिश की थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1 और 2
(c) 1, 2 और 3 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (b)

व्याख्या: विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल भारत में 1.30 लाख लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ज्ञातव्य है कि आत्महत्या भारत में आईपीसी की धारा-309 के तहत अपराध माना जाता है। इस धारा को समाप्त करने की मांग भारत में स्वतंत्रता के बाद से ही जाने लगी थी। 1971 में गठित विधि आयोग ने अपनी 42वीं रिपोर्ट में इस धारा को समाप्त करने की सिफारिश की थी न कि जारी रखने की। अत: कथन (3) गलत है। इस संदर्भ में उपरोक्त दोनों कथन सही हैं। इसलिए इसका उत्तर (b) होगा।

03 डीकार्बोनेटिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज प्रोजेक्ट

प्र. डीकार्बोनेटिंग ट्रांसपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. डीकार्बोनेटिंग विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में डीकार्बोनाइजेशन ट्रांसपोर्ट का समर्थन करता है।
2. इसमें भारत, अर्जेटीना, अजरबैजान और मोरक्को शामिल हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में नीति आयोग और OECD के इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ने भारत में इमर्जिंग इकोनॉमीज प्रोजेक्ट में संयुक्त रूप से "डीकार्बोनाइजिंग ट्रॉसपोर्ट" का शुभारंभ किया। डीकार्बोनेटिंग ट्रांसपोर्ट के संदर्भ में उपर्युक्त दोनों कथन सही हैं। अत: उत्तर (c) होगा।

04 सेनकाकू द्वीप

प्र. जापान के विवादित सेनकाकू द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. सेनकाकू एक निर्जन द्वीप समूह है।
2. इस द्वीप समूह में कुल 8 द्वीप हैं। जिनका कुल क्षेत्रफल 7 वर्ग किमी. है।
3. यह द्वीप ताइवान के उत्तर-पूर्वी दिशा में स्थित है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) उपरोक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में जापान ने सेनकाकू द्वीप की प्रशासनिक स्थिति को बदलने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है, जिन पर चीन और जापान दोनों ने दावा किया है। इस संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अत: इसका उत्तर (c) होगा।

05 जीलैंडिया

प्र. जीलैंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. जीलैंडिया एक महाद्वीप है।
2. जीलैंडिया की खोज ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने किया है।
3. वैज्ञानिकों का कहना है कि जीलैंडिया महाद्वीप गोंडवाना लैण्ड से 7.90 करोड़ साल पहले टूटा था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 1 व 3 (d) केवल 2 व 3

उत्तर: (c)

व्याख्या: जीलैंडिया एक महाद्वीप है। इस महाद्वीप की खोज न्यूजीलैण्ड के वैज्ञानिकों ने किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जीलैंडिया महाद्वीप गोंडवाना लैण्ड से 7.90 करोड़ साल पहले टूटा था। इस तरह कथन 2 गलत है, अत: उत्तर (c) होगा।

06 सतत पहल

प्र. 'सतत पहल' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. 'सतत पहल' एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य विकास से जुड़े एक ठोस प्रयास के रूप में किफायती परिवहन का विकल्प मुहैया कराना है।
2. इस कार्यक्रम के तहत अपशिष्ट या कचरे को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाएगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 व 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: 'सतत पहल' एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य विकास से जुड़े एक ठोस प्रयास के रूप में किफायती परिवहन या आवाजाही के लिए टिकाऊ विकल्प मुहैया कराना है, जिससे वाहनों का इस्तेमाल करने वालों के साथ-साथ किसान एवं उद्यमी को भी लाभान्वित करना है। इस कार्यक्रम के तहत अपशिष्ट या कचरे से संपदा सृजित करके उसे ऊर्जा में परिवर्तित किया जाएगा। इस तरह दोनों कथन सही हैं, अत: उत्तर (c) होगा।

07 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कर गलत कथन का चयन करें-

(a) खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना के अंतर्गत व्यय राशि को केन्द्र व राज्यों के बीच 50:50 के अनुपात में साझा किया जाएगा।
(b) योजना को वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक के लिए 5 वर्ष की अवधि हेतु क्रियान्वित किया जाएगा।
(c) इस योजना की निगरानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगमंत्री की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रिस्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के द्वारा केन्द्र स्तर पर की जाएगी।
(d) भारत में लगभग 25 लाख अपंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण उद्यम हैं।

उत्तर: (a)

व्याख्या: केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 10,000 हजार करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अखिल भारतीय स्तर पर असंगठित क्षेत्र के लिए एक नई केन्द्र प्रायोजित "सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना (एफएमई)" को स्वीकृति दे दी है। इस व्यय को 60:40 के अनुपात में केन्द्र सरकार और राज्यों के द्वारा साझा किया जाएगा। इस तरह कथन (a) गलत है, अत: उत्तर (a) होगा।

7 महत्वपूर्ण खबरें

01 तांगम

- हाल ही मे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक पुस्तक का विमोचन किया जिसका शीर्षक था "तांगम: एन एथ्नोलॉजिकल स्ट्डीज ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश"। सीएम खांडू ने कहा कि पुस्तक तांगम समुदाय की भावी पीढ़ियों की मदद करेगी। विदित हो कि तांगम बोलने वाले लोगों की संख्या सीर्फ 253 रह गई है, जो अरुणांचल प्रदेश के एक छोटे से गाँवों में रहते हैं।

तांगम जनजाति

- तांगम अरुणाचल प्रदेश की बड़ी आदिम जनजाति के भीतर एक अल्पमत समुदाय है जो ऊपरी सियांग जिले के पेनडेम सर्कल में रहते हैं। 2016 से 2020 तक, राजीव गांधी विश्वविद्यालय (RGU) के लुप्तप्राय भाषाओं के केंद्र (सीएफईएल) की एक टीम ने व्यापक क्षेत्र अनुसंधान किया और इस समुदाय का दस्तावेजीकरण किया। सर्वेक्षण से पता चला कि तांगम अब केवल एक गांव (कगिंग) में केंद्रित हैं।

कारण

- यूनेस्को के विश्व एटलस ऑफ लुप्तप्राय भाषाओं (2009) के अनुसार, तांगम-एक मौखिक भाषा है जो तानी समूह से संबंधित है। इसे 'गंभीर रूप से लुप्तप्राय' के रूप में चिह्नित किया गया है। यूनेस्को के अनुसार वर्षों से अपने पड़ोसियों के साथ संवाद करने के कारण तांगम बहुभाषी हो गए हैं और वे न केवल तांगम बोलते हैं बल्कि अन्य भाषायें जैसे शिमोंग, खंबा और हिंदी बोलते हैं। उनकी आबादी कम होने के कारण तथा बहुभाषी होने के कारण अब वे अपनी भाषा कम ही बोलते हैं।
- इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश के भीतर भी तांगम अपेक्षाकृत अज्ञात हैं। इनके 'गाँव में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सुविधाओं, सड़क और बिजली के सभी बुनियादी क्षेत्रों में उचित बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। सड़क 2018 में केवल कगिंग तक पहुँच गई है। समुदाय का एक भी व्यक्ति विश्वविद्यालय नहीं गया है। यह भी एक कारण है जिससे कि तांगम भाषा के प्रचार-प्रसार नहीं हो पाया।
- विदित हो कि भाषाओं की विविधता ने विभिन्न समुदायों को अंग्रेजी, असमिया और हिंदी की बोलचाल की विविधता पर निर्भर किया है, जिसे अरुणाचली हिंदी कहा जाता है। कई लोगों का मानना है कि इस बदलाव के कारण आदिवासी समुदायों की मूल भाषाओं का नुकसान हुआ है। 2017 के सीईएफएल अनुसंधान समाचार पत्र में कहा गया है कि न्यारी, गालो, मिशमी, तंगसा आदि जैसे संख्यात्मक रूप से बड़ी जनजातियां, जिनकी आबादी दस हजार से अधिक है, वे भी खतरे से सुरक्षित नहीं हैं।
- अरुणाचल प्रदेश में वर्तमान में भाषाओं की संख्या पर कोई व्यवस्थित, वैज्ञानिक या आधिकारिक सर्वेक्षण नहीं हुआ है। राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक भाषाई सर्वेक्षण केवल 2018 में शुरू हुआ, जो वर्तमान में चल रहा है। इससे पहले, 2017 में पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया प्रकाशित किया गया था।

अन्य तथ्य

- विशेषज्ञों के अनुसार, अरूणाचल प्रदेश में गभग 32-34 भाषाएं हैं यदि इन भाषाओं के भीतर विभिन्न भाषाई किस्मों या बोलियों को सूचीबद्ध किया गया तो संख्या 90 तक जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश की भाषाओं को चीन-तिब्बती भाषा परिवार के तहत वर्गीकृत किया गया है और विशेष रूप से भाषाओं के टिबेटो-बर्मन और ताई समूह के तहत, जैसे लोलो-बर्मिश, बोधिक, सल, तानी, मिशमी, हरिश और ताई।

02 C/2020 F3 नामक धूमकेतु

- हाल ही में नासा द्वारा खोजा गया C/2020 F3 नामक धूमकेतु जिसे नासा ने निओवाइस (NEOWISE) नाम दिया है, 22 जुलाई को पृथ्वी के सबसे नजदीक से गुजरेगा। निओवाइस धूमकेतु, को अपनी कक्षा में एक परिक्रमण करने में 6,800 वर्ष का समय लगता है। 22 जुलाई को यह पृथ्वी की बाहरी कक्षा को पार करते समय पृथ्वी की सतह से 64 मिलियन मील या 103 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर होगा।
- 3 जुलाई को, धूमकेतु सूर्य से 43 मिलियन किमी दूर था। इस दिन, धूमकेतु ने बुध की कक्षा में प्रवेश किया, तथा सूर्य से निकटता के कारण, इसकी बाहरी परत से गैस और धूल से भरे परिमण्डल का निर्माण हो गया, जिसे कोमा (Coma) नाम दिया गया है। कभी-कभी इस गैस और धूल युक्त परिमण्डल से हजारों-लाखों किमी लंबी चमकदार पूंछ जैसी संरचना का निर्माण हो जाता है।

धूमकेतु

- धूमकेतु आकाशीय धूल,बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड हैं, जो सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। सूर्य के चारों ओर ये लंबी किंतु अनियमित कक्षा में घूमते हैं। अपनी कक्षा में घूमते हुए कई वर्षों के पश्चात जब यह सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो गर्म होकर इनसे गैसों की फुहारें निकलती हैं,जो एक लम्बी चमकीली पूँछ के समान प्रतीत होती हैं। कभी-कभी यह पूँछ लाखों किलोमीटर लंबी होती हैं। लम्बी दूरी के घूमकेतू 70 से 90 वर्षो के अंतराल में दिखाई देता है। हेली घूमकेतू भी इन्ही में से एक है। यह 76 वर्षो के अंतराल में दिखाई पड़ता है। अब वर्ष 2062 में हेली फिर से दिखाई देगा।

नासा का वाइस (WISE) टेलीस्कोप

- नासा ने वाइस (WISE- Wide-Field Infrared Survey Explorer) टेलीस्कोप को दिसंबर 2009 में लांच किया था। इस अन्तरिक्षीय टेलीस्कोप को आकाश का अवरक्त सर्वेक्षण करने, क्षुद्रग्रहों, तारों तथा अस्पष्ट आकाशगंगाओं का पता लगाने हेतु डिजाइन किया गया था। फरवरी 2011 में अपने प्राथमिक मिशन को पूरा करने तक इसने सफलतापूर्वक काम किया। दिसंबर 2013 में, इसे पुनः निओवाइस (NEOWISE) परियोजना के रूप में आरम्भ किया गया। इसका उद्देश्य पृथ्वी के नजदीक स्थित पिंडों (Near-Earth Objects-NEOs), तथा दूर स्थित क्षुद्रग्रहों और धूमकेतुओं का अध्ययन करना है।

03 रीवा सोलर प्लांट

- हाल ही मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित किया। मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित इस प्रोजेक्ट की उत्पादन क्षमता 750 मेगावाट है। इस सोलर प्रोजेक्ट के शुरू होने से मध्य प्रदेश के लोगों के साथ ही साथ उद्योगों को भी बिजली मिलेगी। साथ ही दिल्ली में मेट्रो रेल को भी इसका लाभ होगा। यहां बनने वाली बिजली में से 24 प्रतिशत दिल्ली मेट्रो को जबकि शेष 76 प्रतिशत बिजली मध्य प्रदेश के राज्य बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को जाएगी।
- यह परियोजना रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड (Rewa ultra mega solar limited), एमपी ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (MP urja vikas nigam ltd) और भारत के सौर ऊर्जा निगम का एक संयुक्त उद्यम है। इनोवेशन और उत्कृष्टता के लिए इसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप

प्रेसिडेंट अवॉर्ड भी मिला है। इसे प्रधानमंत्री की 'अ बुक ऑफ इनोवेशन: न्यू बिगनिंग्स' किताब में भी शामिल किया गया है। इस परियोजना में एक सौर पार्क के अंदर स्थित 500 हेक्टेयर भूमि पर 250-250 मेगावाट की तीन सोलर एनर्जी यूनिट्स शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट से बनने वाली बिजली की दर 15 साल तक 0.05 रुपये प्रति यूनिट की बढ़ोतरी के साथ पहले साल 2.97 रुपये प्रति यूनिट होगी। इस हिसाब से 25 साल के लिए 3.30 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। इस सौर पार्क के विकास के लिए आरयूएमएसएल को 138 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय मदद प्रदान की गई है।

- पार्क के विकसित हो जाने के बाद आरयूएमएसएल ने पार्क के अंदर 250 मेगावाट की तीन यूनिट्स का निर्माण करने के लिए रिवर्स ऑक्शन के माध्यम से महिंद्रा रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड, एसीएमई जयपुर सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड और आरिन्सन क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को चुना था। इस परियोजना से सालाना लगभग 15 लाख टन कार्बन डाई ऑक्साइड (CO_2) के बराबर कार्बन उत्सर्जन से बचा जा सकता है। बिजली की जरूरत बढ़ती जा रही है, ऐसे में बिजली की आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है, तभी आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। आत्मनिर्भरता और प्रगति की बात करते हैं, तो अर्थव्यवस्था की बात जरूर आती है, इसीलिए इस प्लांट को देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।
- विश्व बैंक समूह की कंपनी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने परियोजना में - 440 मिलियन या 2,800 करोड़ रुपये के करीब निवेश किया है और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बिजली की निकासी की सुविधा के लिए ग्रीन कॉरिडोर के तहत 220/400 केवी अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली विकसित की है।
- उल्लेखनीय है कि इस परियोजना का निर्माण वर्ष 2015 में शुरू हुआ।

04 तारों से कार्बन बनने की प्रक्रिया

- हाल ही में एक अध्ययन ने हमारी आकाशगंगा में कार्बन की उत्पत्ति पर अंतर्दृष्टि प्रदान की है। यह अध्ययन एस्ट (Ast) नेचर एस्ट्रोनॉमी' में प्रकाशित हुआ है और यह सफेद बौने तारे का विश्लेषण है, जो किसी तारे के मरने के बाद के अवशेष हैं।
- कार्बन जीवन के लिए आवश्यक है; यह सभी जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल निर्माण खंड है जिनकी जीवों को आवश्यकता होती है। यह भी ज्ञात है कि मिल्की वे में कार्बन की उपस्थिति तारों के नष्ट होने से थे। हालांकि, जिस बात पर बहस हो रही है वह यह है कि किस तरह के तारों ने इसमे प्रमुख योगदान दिया है।
- अधिकांश तारे अंततः सफेद बौनों में बदल जाते हैं। जब बड़े तारे नष्ट होते हैं या फिर मरते हैं, तो वे एक बैंग के रूप मे परिवर्तित हो जाते हैं जिसे सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। दोनों बड़े और छोटे द्रव्यमान वाले तारे अपने जीवन को समाप्त करने से पहले अपने आस-पास की राख को व्यापक पैमाने पर बाहर निकाल देते हैं, और इन राख में कार्बन सहित कई अलग-अलग रासायनिक तत्व होते हैं।

तारों में कार्बन संश्लेषण

- कम द्रव्यमान वाले तारों में बड़े पैमाने पर कार्बन को ट्रिपल-अल्फा प्रतिक्रिया के माध्यम से उनके गहरे और गर्म अंदरूनी हिस्से में संश्लेषित किया जाता है, ट्रिपल-अल्फा प्रतिक्रिया तीन हीलियम नाभिक का संलयन है। कम द्रव्यमान वाले तारों में नए संश्लेषित कार्बन को गैस की विशाल बुलबुले के माध्यम से (अंदरूनी हिस्सों से) सतह पर पहुँचाया जाता है और वहाँ से तारकीय हवाओं के माध्यम से ब्रह्मांड में प्रवेश कराया जाता है। वे सुपरनोवा विस्फोट से पहले कार्बन के साथ इंटरस्टेलर माध्यम को समृद्ध करते हैं, जब वे शक्तिशाली तारकीय हवाओं का भी अनुभव करते हैं। यह इस बात से संबंधित है कि क्या मिल्की वे में कार्बन कम द्रव्यमान वाले सितारों से उत्पन्न हुआ था, इससे पहले कि वे सफेद बौने बन गए, या बड़े तारों की हवाओं से पहले वे सुपरनोवा के रूप में विस्फोट हो गए। नए शोध से पता चलता है कि मिल्की वे में कार्बन के मूल पर सफेद बौने अधिक प्रकाश डाल सकते हैं।

कार्बन की उत्पत्ति और परिवहन

- अध्ययन से पता चलता है कि कैसे और कब कार्बन हमारी आकाशगंगा के तारों द्वारा निर्मित किया गया था, और उस कच्चे माल में फंस गया जिससे सूर्य और उसके ग्रह प्रणाली का निर्माण हुआ था। अपने जीवन के अंतिम चरणों में, लगभग 2 सौर द्रव्यमान वाले तारे अपने गर्म अंदरूनी हिस्सों में नए कार्बन परमाणु उत्पन्न करते थे और इसे सतह पर ले जाया गया, और अंत में कोमल तारकीय हवाओं के माध्यम से इंटरस्टेलर में फैल गया।
- कम द्रव्यमान वाले तारों में कार्बन के उत्पादन के लिए न्यूनतम प्रारंभिक द्रव्यमान निर्धारित किया गया। अध्ययन में पता चला है कि 1.65-डेनद (सूर्य का द्रव्यमान का 1.65 गुना) एक तारे के लिए न्यूनतम द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व करता है ताकि मृत्यु पर उसके कार्बन-समृद्ध राख को फैलाया जा सके।

किसी तारे का प्रारंभिक-अंतिम द्रव्यमान संबंध

- यह एक प्रमुख खगोलीय माप है जो तारों के पूरे जीवन चक्र की जानकारी को एकीकृत करता है। शोधकर्ताओं को पता चला कि जन्म के समय तारा जितना विशाल होता है, उसकी मृत्यु में सफेद बौना उतना ही भारी होता है। अब तक, हमारी आकाशगंगा में लगभग 1.5 बिलियन साल पहले पैदा हुए तारों के बारे में कहा गया था कि उनका द्रव्यमान लगभग 60-65% सफेद बौने के समान है, जबकि वास्तविकता यह है कि उनका द्रव्यमान 70-75% सफेद बौने के समान है।

05 हवा में भी फैलता है कोरोना वायरस

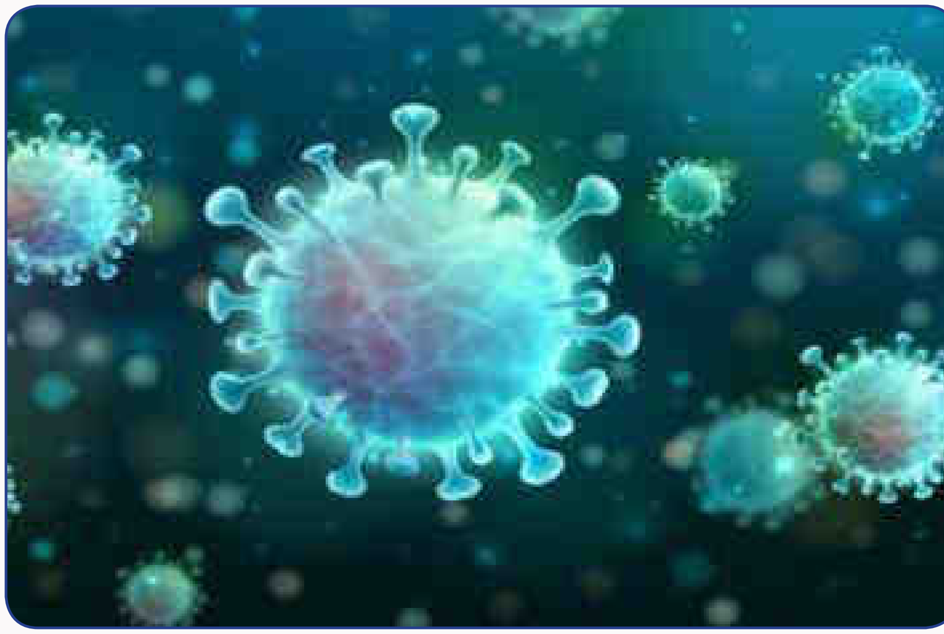

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कुछ शर्तों के साथ यह स्वीकार कर लिया है कि कोरोना वायरस (CoronaVirus) हवा में फैल सकता है। WHO ने इस संबंध में नई गाइडलाइंस जारी की, जिसमें वायरस के हवा में फैलने से जुड़ी रिपोर्टों को स्वीकार किया गया है। हालांकि, WHO ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस संबंध में व्यापक अध्ययन की जरूरत है।
- गौरतलब है कि हाल ही में कई देशों के वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि कोरोना वायरस हवा में फैलता है। खासकर जब कोई संक्रमित व्यक्ति सांस छोड़ता, बात करता या खांसता है। डब्ल्यूएचओ लंबे समय से इस संभावना को खारिज कर रहा था कि कोरोना वायरस कुछ चिकित्सा प्रक्रियाओं को छोड़कर हवा में फैलता है, लेकिन अब उसने इसे स्वीकार कर लिया है।
- विदित हो कि बहुत कम बीमारियां ही ऐसी होती हैं, जिनके हवा में फैलने का खतरा होता है। खसरा (measles) और तपेदिक (tuberculosis) ऐसी ही बीमारी हैं। डब्ल्यूएचओ गाइडेंस स्वीकार करता है कि कोरोना वायरस विशिष्ट चिकित्सा प्रक्रियाओं के दौरान हवा में फैल सकता है। लिहाजा इन परिस्थितियों में, चिकित्सा कर्मियों को पर्याप्त रूप से हवादार कमरे में काम करने और N95 मास्क और अन्य सुरक्षात्मक उपकरण पहनने की सलाह दी गई है। वायरस के फैलाव को लेकर WHO के जोखिम आकलन में कोई भी बदलाव 1-मीटर (3.3 फीट) की फिजिकल दूरी की सलाह को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसी स्थिति में सभी देशों को वायरस के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में बदलाव करना पड़ेगा।
- विशेषज्ञ सहमत हैं कि कोरोनावायरस वायरस लंबी दूरी की यात्रा नहीं करता है लेकिन सबूत बताते हैं कि यह एक कमरे से बाहर जा सकता है और शायद तीन घंटे तक सक्रिय रह सकता है।

क्या है एयरबोर्न ट्रांसमिशन

- वैज्ञानिकों के मुताबिक, कोरोना वायरस एयरबोर्न है यानी हवा में भी जिंदा रहता है और बंद कमरों में भी लोगों को शिकार बना सकता है। कोरोना के ये कण आम तौर पर आकार में 5 माइक्रो मीटर से भी छोटी होती हैं और इन्हें 'एरोसोल' कहा जाता है। हवा न भी चले तो भी कोरोना के ये कण 13 फीट तक फैलते हैं। ये बातचीत के दौरान हमारे शरीर में भी जा सकते हैं।

एयरोसोल क्या है और यह ड्रॉपलेट्स से अलग कैसे है

- एयरोसोल ड्रॉपलेट्स होते हैं और ड्रॉपलेट्स एयरोसोल। आकार के सिवाय दोनों में कोई फर्क नहीं। वैज्ञानिक पांच माइक्रोन से कम आकार के ड्रॉपलेट्स को एयरोसोल कहते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि रेड ब्लड सेल के एक सेल का डायमीटर पांच माइक्रोन होता है, जबकि इंसान के एक बाल की चौड़ाई 50 माइक्रोन होती है।
- शुरू से डब्ल्यूएचओ और अन्य एजेंसियां मान रही थीं कि कोरोनावायरस ड्रॉपलेट्स से फैलता है। छींक या खांसी के दौरान निकलने वाली बड़ी ड्रॉपलेट्स भारी होती हैं और वह तत्काल सतह (जमीन) पर आ जाती हैं। इसी वजह से सतह छूने से बचने की सलाह दी गई थी। साथ ही बार-बार हाथ धोने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की सलाह दी जा रही थी। सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह का आधार भी यह था कि एक व्यक्ति के शरीर से बाहर निकलने वाली ड्रॉपलेट्स छह फीट के दायरे में दूरी तय करती हैं।

ड्रॉपलेट्स की तुलना में एयरोसोल खतरनाक क्यों

- विशेषज्ञों का दावा है कि कोरोना पीड़ित खांसी और छींक के दौरान एयरोसोल भी छोड़ रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि एयरोसोल उस समय भी शरीर से निकलते हैं, जब लोग सांस लेते हैं, बात करते हैं या गाना गाते हैं। वैज्ञानिकों को पता है कि सिम्पटम न होने पर भी लोग वायरस फैला सकते हैं। यानी खांसी या छींक के बिना भी। तब पक्के तौर पर एयरोसोल ही इसकी वजह होंगे।
- एयरोसोल आकार में छोटे होते हैं और उसमें ड्रॉपलेट्स की तुलना में कम मात्रा में वायरस हो सकता है। चूंकि ये हल्के होते हैं, इसलिए कई घंटों तक हवा में रह सकते हैं। खासकर ताजा हवा के अभाव में। भीड़भरी जगहों पर एक संक्रमित व्यक्ति इतना एयरोसोल छोड़ सकता है कि वह कई लोगों को बीमार कर दे।

06 देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य

- हाल ही मे असम सरकार ने 'देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य' (Dehing Patkai Wildlife Sanctuary) को एक 'राष्ट्रीय उद्यान' (National Park) के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। असम सरकार द्वारा यह घोषणा 'देहिंग पटकाई एलीफैंट रिजर्व' (Dehing Patkai Elephant Reserve) में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (National Board of Wildlife- NBWL) द्वारा कोयला खनन परियोजना के लिये कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited- CIL) को सशर्त मंजूरी देने के कुछ महीने बाद की गई है। उल्लेखनीय है कि असम सरकार के इस निर्णय के बाद CIL की सहायक कंपनी 'नार्थ-ईस्टर्न कोलफील्ड्स' (North Eastern Coalfields) ने क्षेत्र में सभी खनन कार्यों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया।

देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य

- 'देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य' का क्षेत्रफल 111.942 वर्ग किमी. है और यह 'देहिंग पटकाई एलीफैंट रिजर्व' की परिधि के अंदर अवस्थित है। 'देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य' ऊपरी असम के कोयले एवं तेल-समृद्ध जिलों (डिब्रुगढ़, तिनसुकिया एवं शिवसागर) में फैला हुआ है और माना जाता है कि यह असम में तराई क्षेत्र के वर्षावनों का अंतिम शेष संक्रमण जोन है। यह वन्यजीव अभयारण्य एक 'संरक्षित क्षेत्र' हैं जहाँ कुछ गतिविधियों जैसे-चराई की अनुमति आदि की छूट दी जाती हैं। 'राष्ट्रीय उद्यान' का दर्जा मिल जाने से इसे वन्यजीव संरक्षण

अधिनियम, 1972 (The Wildlife Protection Act1972) के तहत 'पूर्ण संरक्षण की स्थिति' प्राप्त हो जाएगी। एक वन्यजीव अभयारण्य के अंदर कुछ मानव गतिविधियों को अनुमति दी जा सकती है किंतु एक राष्ट्रीय पार्क में किसी भी मानव गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाती है।

- यद्यपि वर्ष 1995 में इस अभयारण्य के 267 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देने का प्रस्ताव लाया गया था। वर्ष 2004 में देहिंग पटकाई को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। वर्तमान में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य में ऊपरी दीहिंग, जॉयपुर और दिरक आरक्षित वनों के कुछ भाग शामिल हैं। अपग्रेड होने के बाद देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान होगा। जबकि अन्य पाँच राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा, नामेरी, मानस, ओरंग और डिब्रू-साइखोवा हैं।

विवाद

- अप्रैल, 2020 के महीने में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से पर्यावरणविदों के नेतृत्व में एक विरोध अभियान चलाया गया था। यह अभियान स्टैंडिंग कमेटी की 57वीं बैठक के दौरान नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ (एनबीडब्ल्यूएल) द्वारा किए गए विवादास्पद निर्णय के कारण था।
- इस निर्णय के तहत सालेकी प्रस्तावित आरक्षित वन के 98.57 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड (NEC) को कोयला खनन के लिए प्रारंभिक स्वीकृति दी गयी थी।
- सालेकी प्रस्तावित आरक्षित वन 'इको-सेंसिटिव जोन' के भीतर आता है, जो कि देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य के 10 किलोमीटर के दायरे में है।
- विवाद के बाद, इस स्थान पर 3 जून को कोयला खनन कार्य बंद कर दिया गया। कोल इंडिया लिमिटेड की इकाई NEC 2003 से बिना किसी आधिकारिक मंजूरी के इस स्थान पर खनन कर रही थी। इसके लिए असम के वन विभाग ने मई, 2020 में कोल इंडिया लिमिटेड पर 43.24 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। तभी से यह अभयारण्य चर्चा में बना हुआ था।

07 मंगोलियाई कंजुर पांडुलिपि

- हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंगोलियाई कंजुर पांडुलिपियों के प्रथम पांच पुनर्मुद्रित अंक जारी किए गए। मंगोलियाई कंजुर के सभी 108 अंकों को राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत 2022 तक प्रकाशित किए जाने की उम्मीद है।

कंजुर के बारे में

- मंगोलियाई भाषा में 'कंजुर' का मतलब 'संक्षिप्त आदेश' होता है जो खासकर भगवान बुद्ध के शब्द होते हैं। मंगोलियाई बौद्ध इसके प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं और वे मंदिरों में कंजुर की पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, एक धार्मिक रिवाज के रूप में मंगोलियाई बौद्ध अपने प्रतिदिन के जीवन में कंजुर की पंक्तियों का पाठ भी करते हैं। मंगोलियाई कंजुर का अनुवाद तिब्बती भाषा से किया गया है। कंजुर की भाषा प्राचीन मंगोलियाई है।
- पांडुलिपि धातु, कागज, छाल, कपड़ा, ताड़ के पत्ते या दूसरी सामग्रियों पर हस्तलिखित 75 साल से पुरानी रचनाएं होती है। इसका महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और सौंदर्यात्मक मूल्य होता है। गौरतलब है कि लिथोग्राफ और मुद्रित संस्करण पांडुलिपियों के तहत नहीं आते हैं।

राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन

- राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा फरवरी 2003 में पांडुलिपियों में संरक्षित ज्ञान के

दस्तावेजीकरण, संरक्षण एवं प्रसार करने के अधिदेश के साथ लांच किया गया था। मिशन का एक उद्देश्य दुर्लभ एवं अप्रकाशित पांडुलिपियों को प्रकाशित करना है जिससे कि उनमें प्रतिष्ठापित ज्ञान शोधकर्ताओं, विद्वानों एवं बड़े पैमाने पर आम लोगों तक प्रसारित हो सके। इस मिशन के तहत, मंगोलियाई कंजुर के 108 अंकों के पुनर्मुद्रण का कार्य आरंभ किया गया है। ऐसी उम्मीद है कि मार्च, 2022 तक मंगोलियाई कंजुर के सभी 108 अंक प्रकाशित कर दिए जाएंगे। यह कार्य विख्यात विद्वान प्रो. लोकेश चंद्रा के पर्यवेक्षण के तहत किया जा रहा है।

- 1956-58 के दौरान, प्रोफेसर रघु वीरा ने दुर्लभ कंजुर पांडुलिपियों की एक माइक्रोफिल्म की प्रति प्राप्त की और उसे भारत लेकर आ गए और 108 अंकों में मंगोलियाई कंजुर भारत में 1970 के दशक में राज्यसभा के पूर्व सांसद प्रो. लोकेश चंद्रा द्वारा प्रकाशित किया गया। अब वर्तमान संस्करण का प्रकाशन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन द्वारा किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक अंक में कंटेंट की एक सूची है जो मंगोलियाई में सूत्र के मूल शीर्षक को इंगित करती है।

भारत-मंगोलिया संबंध

- भारत और मंगोलिया के बीच परस्पर ऐतिहासिक संबंध काफी प्राचीन रहे हैं। मंगोलिया में बौद्ध धर्म भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक राजदूतों द्वारा शुरुआती ईस्वी सदी के दौरान ले जाया गया था। इसका नतीजा यह हुआ कि आज, मंगोलियाई आबादी का एक बड़ा हिस्सा बौद्ध धर्म को मानने वाला है। भारत ने साल 1955 में मंगोलिया के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध शुरू किए थे और तभी से, दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ संबंध एक नई ऊंचाई तक पहुंच गए हैं।

मंगोलिया के बारे में

- मंगोलिया, पूर्व और मध्य एशिया में, चारों तरफ भूमि से घिरा यानी एक लैंडलॉक्ड (landlocked) देश है। इसकी सीमाएं उत्तर में रूस, दक्षिण, पूरब और पश्चिमी में चीन से मिलती हैं। वैसे तो, मंगोलिया की सीमा कजाकिस्तान से नहीं मिलती, लेकिन इसकी सबसे पश्चिमी छोर कजाकिस्तान के पूर्वी सिरे से मात्र 38 किमी दूर है। उलान बटोर मंगोलिया का सबसे बड़ा शहर है, साथ ही यह इसकी राजधानी भी है। उलान बटोर का शाब्दिक अर्थ होता है 'लाल बहादुर'। मंगोलिया की राजधानी में वहां की करीब 38 फीसदी आबादी निवास करती है।

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

01

03

05

01 'स्वामित्व योजना' क्या है? यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के समावेशी विकास में किस प्रकार सहायक होगी? उल्लेख करें।

02 पिछले कई वर्षों से भारतीय राजनीति में जोड़-तोड़ व दल-बदल की प्रवृत्ति तेज हो गई है। ऐसी स्थिति में भारतीय मतदाता अपने आप को छला हुआ महसूस करता है। टिप्पणी करें।

03 हाल ही में जापान ने विवादित द्वीपों की प्रशासनिक स्थिति बदलने की मंजूरी दे दी है। जापान के इस कदम से दक्षिण-चीन सागर में पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करें।

04 हाल के वर्षों में भारत का अपने कई पड़ोसी देशों से संबंधों में गिरावट आई है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण भातर का पश्चिमी देशों की तरफ अत्यधिक झुकाव है। क्या आप इस बात से सहमत है? विश्लेषण करें।

05 गुप्तकाल को मूर्तिकला की दृष्टिकोण से स्वर्ण युग कहा जाता है। विस्तार से चर्चा करें।

06 प्रेस को भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लेकिन कुछ समय से इसके कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह उठ रहा है और पक्षपातपूर्ण रवैये का भी तमगा लग रहा है। इससे आप कितना सहमत है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दे।

07 गाँधी जी का यह कहना कि "भारत का विकास लघु और कुटीर उद्योगों के विकास से ही संभव है।" कोरोना वायरस के संदर्भ में इस कथन की प्रासंगिकता पर विचार करें।

7 महत्वपूर्ण तथ्य
(प्रारंभिक परीक्षा हेतु)

03

05

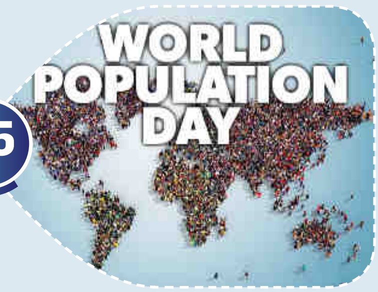

07

01 "सार्वभौमिक कैंसर नियंत्रण की दिशा में प्रगति" पर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेन्स यूनिट द्वारा जारी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है?

8वाँ

02 किस मंत्रालय ने कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) आधारित "आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी–नियोक्ता मानचित्रण" पोर्टल लॉन्च किया है?

केन्द्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

03 'इंडिया ग्लोबल वीक–2020' का विषय (Theme) क्या है?

"वी द रिवाइवल: इंडिया एण्ड ए बेटर न्यू वर्ल्ड"

04 किस मंत्रालय ने भारतीय शहरों में कोविड–19 के मद्देनजर "इंडिया साइकिल 4 चेंज चैलेन्ज" पहल शुरू की है?

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय

05 दुनियाभर में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है?

11 जुलाई

06 किस राज्य सरकार ने गिर, बरदा और आलोच जंगलों में रहने वाले रैबारी, मारवाड़ और चारण जनजातियों तक योजनाओं के सही लाभार्थियों की पहुँच के लिए पाँच सदस्यी आयोग का गठन किया है?

गुजरात

07 किस देश ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर दिया है?

ईरान

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

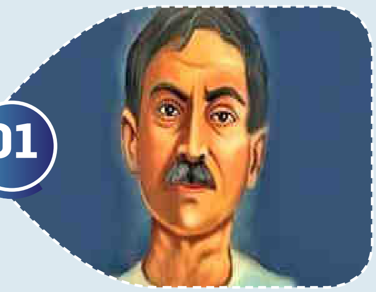

01 जीवन का वास्तविक सुख, दूसरों को सुख देने में है; उनका सुख लूटने में नहीं।

मुंशी प्रेमचंद

02 विश्वास एक व्यक्ति द्वारा कहा गया बिना सबूत का एक भरोसा है, जो किसी चीज के बारे में बताता है , बिना ज्ञान के, बिना समान्तर भाव के।

एम्ब्रोस बिएर्स

03 शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध लड़ सके।

सर्वपल्ली राधाकृष्णन

04 दो मामलो में इंसान को कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, एक जिसमें वो मदद कर सकता हैं और दूसरा जिसमें वो मदद नहीं कर सकता है।

प्लेटो

05 पूंजीवादी समाज में पूँजी स्वतंत्र और व्यक्तिगत है, जबकि जीवित व्यक्ति आश्रित है और उसकी कोई वैयक्तिकता नहीं है।

कार्ल मार्क्स

06 केवल प्रेम ही वास्तविकता है, ये महज एक भावना नहीं है। यह एक परम सत्य है जो सृजन के हृदय में वास करता है।

रबिन्द्रनाथ टैगोर

07 सभी मनुष्य अपने स्वयं के दोष की वजह से दुःखी होते हैं, लेकिन वे खुद अपनी गलती सुधार कर प्रसन्न हो सकते हैं।

भगवान् महावीर

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA –9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

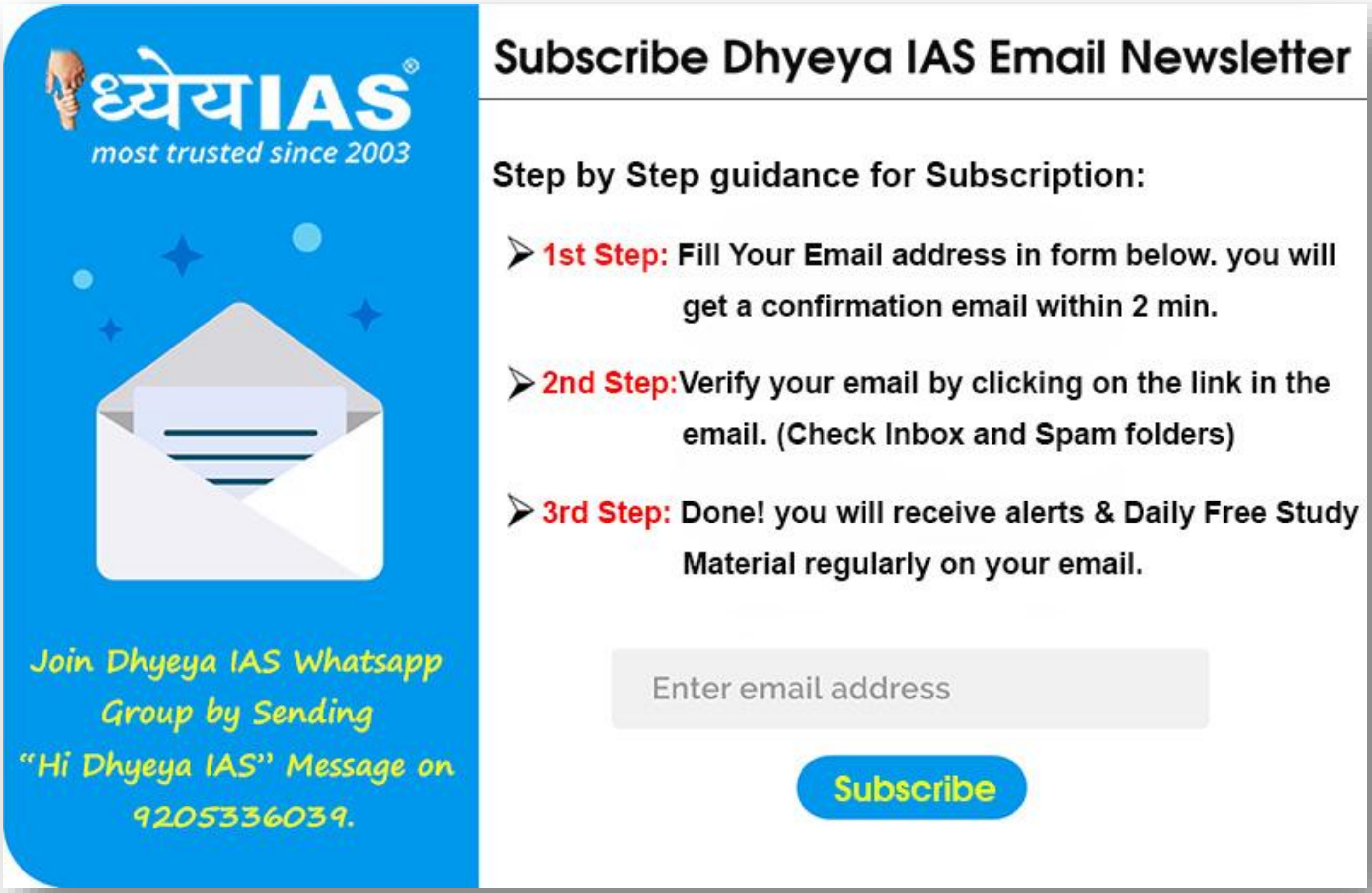

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400